भारत सरकार
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
**लोक सभा**
**तारांकित प्रश्न संख्या** 279
बुधवार, 16 मार्च, 2016 को उत्तर देने के लिए

**प्रौद्योगिकी विकास निधि**

***279. श्री दुष्यंत चौटाला:**

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निजी उद्योगों और अनुसंधान संस्थानों द्वारा स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के वाणिज्यिकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी विकास निधि का गठन किया है;
(ख) यदि हां, तो निधि के उद्देश्य क्या हैं और गत तीन वर्षों के दौरान प्रौद्योगिकी विकास निधि द्वारा समर्थित परियोजनाओं की संख्या कितनी है; और
(ग) प्रौद्योगिकी विकास निधि के अंतर्गत आबंटन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री
(डॉ. हर्ष वर्धन)

(क) से (ग ) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

**प्रौद्योगिकी विकास निधि के संबंध् में लोकसभा में दिनांक 16.03.2016 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न सं. 279 के भाग (क ) से (ग ) के उत्तर मेंउल्लिखित विवरण**

(क ) जी, नहीं । सरकार ने निजी उद्योगों और अनुसंधान संस्थानों द्वारा स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के वाणिज्यीकरण को बढ़ावा देने के लिए अब तक कोई प्रौद्योगिकी विकास निधि (टीडीएफ) का गठन नहीं किया है। तथापि, भारत सरकार ने प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अधिनियम, 1995 के माध्यम से स्वदेशी प्रौद्योगिकी के वाणिज्यिक अनुप्रयोग का प्रयास करने वाले अथवा वृहत घरेलू अनुप्रयोग के लिए आयातित प्रौद्योगिकी अपनाने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों और अन्य एजेंसियों को इक्विटी पूंजी अथवा कोई अन्य वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डी एस टी ) के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय के रूप में प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड का गठन किया है। टी डी बी की स्थापना संबंधी कानून दिनांक 1 सितम्बर, 1996 से लागू हो गया है।

उपर्युक्त अधिनियम की धारा 9 में प्रौद्योगिकी विकास और अनुप्रयोग निधि (टी डी ए एफ ) के गठन का प्रावधान है जिसमें बोर्ड के लिए किसी अनुदान अथवा ऋण, किसी अन्य -ोत से बोर्ड द्वारा प्राप्त धनराशि, निधि से प्रदत्त राशि की वसूली से प्राप्त धनराशि अथवा टीडी बी द्वारा किए गए निवेश में से आय जमा की जाएगी।

चूंकि अधिनियम में यथाकल्पित टी डी ए एफ अस्तित्व में नहीं आ सका, इसलिए इसकी शुरूआत से लेकर अब तक आर एंड उपकर के रूप में अबतक संकलित कोई निधियां टीडीबी को उपलब्ध नहीं कराई गई है। टीडीबी डी एस टी से इसके योजनेतर बजट में से सहायता अनुदान के रूप में निधियां प्राप्त कर रहा है। वर्ष 1996 में अपनी शुरूआत से लेकर दिनांक 29 फरवरी, 2016 तक टी डी बी को इस माध्यम से 559.17 करोड़ रूपए प्राप्त हुए तथा लगभग 324 प्रोजेक्टों/हस्ताक्षरित करारों को सहायता करते हुए अपने आंतरिक वित्तीय प्रबंधन से 1298.11 करोड़ रूपए संवितरित किए हैं।

(ख ) और (ग ) : प्रश्न नहीं उठता ।

****

भारत सरकार
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या** 3003
बुधवार, 16 मार्च, 2016 को उत्तर देने के लिए

**महिला वैज्ञानिक छात्रवृत्ति योजना**

**3003. श्री हरीशचन्द्र उर्फ हरीश द्विवेदी:**
**डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक':**

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा चलाई जा रही महिला वैज्ञानिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत विज्ञान के क्षेत्र में महिला वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन/नामांकन में कितनी सफलता मिली है;
(ख) क्या देश में महिला वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन देने की किसी योजना की परिकल्पना की गई है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या निजी क्षेत्र में महिला वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन देने की कोई योजना है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) गत तीन वर्षों के दौरान सभी छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत छात्रवृत्ति के रूप में वर्ष-वार कुल कितनी धनराशि संवितरित की गई है ?

**उत्तर**
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री वाई. एस. चौधरी)

**उत्तर**
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री वाई. एस. चौधरी)

(क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा चलाई जा रही इसकी महिला वैज्ञानिक छात्रवृति स्कीम के अंतर्गत 3850 से अधिक महिला वैज्ञानिकों को सफलतापूर्वक सहायता प्रदान की है। इसके अतिरिक्त, 200 से अधिक (नियोजित और बेरोजगार) महिला वैज्ञानिकों को जैवप्रौद्योगिकी विभाग की जैवप्रौद्योगिकी करिअर संवर्धन तथा पुन:स्थापन कार्यक्रम (बायो-केयर) स्कीम के अंतर्गत सहायता दी गई है।

(ख) जी, हाँ। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) ने 27-57 वर्ष के आयु वर्ग की उन महिला वैज्ञानिकों एवं प्रौद्योगिकीविदों के लिए जिन्होंने करिअर में ब्रेक लिया और जो विज्ञान की मुख्यधारा में वापिस आने और प्रतिष्ठित वैज्ञानिक के रूप में कार्य करने की इच्छुक हैं, के लिए महिला वैज्ञानिक स्कीम जिसे अब किरण (प्रशिक्षण के माध्यम से अनुसंधान संवर्धन में ज्ञान की सहभागिता) के नाम से जाना जाता है, शुरू की है। इस स्कीम के अंतर्गत , महिला वैज्ञानिकों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अग्रणी क्षेत्रों में अनुसंधान करने और स्व-रोजगार/उद्यमितावृत्ति के बाद बौद्धिक संपदा अधिकार क्षेत्र में

विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित प्रशिक्षुतावृत्ति लेने के अलावा सामाजिक प्रासंगिकता की समस्याओं/मुद्दों के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2009 में, डीएसटी ने ऐसी महिलाओं जो उच्च शिक्षा लेने तथा इसके बाद विज्ञान और प्रौद्योगिकी में करिअर बनाने की इच्छा रखती हैं, को सुविधा देने के उद्देश्य से देश के महिला-विशेष विश्वविद्यालयों में उनकी आर एण्ड डी अवसंरचना को सुदृढ़ करने हेतु एक विशेष कार्यक्रम-महिला विश्वविद्यालयों में नवोन्मेष एवं उत्कृष्टता के लिए विश्वविद्यालय अनुसंधान का समेकन-(सीयूआरआईई) की शुरूआत की है। जैवप्रौद्योगिकी अनुसंधान में महिला वैज्ञानिकों की प्रतिभागिता को बढ़ाने के उद्देश्य से जैवप्रौद्योगिकी विभाग ने महिला वैज्ञानिकों के लिए जैवप्रौद्योगिकी करिअर संवर्धन और पुनःस्थापन कार्यक्रम (बायो-केयर) आरंभ किया है। यह मुख्य रूप से नियोजित/बेरोजगार महिला वैज्ञानिकों के करिअर विकास के लिए है। यह स्कीम जीवन विज्ञान/जीवविज्ञान के सभी क्षेत्रों के लिए लागू है।

(ग) जी, हाँ। डीएसटी के किरण कार्यक्रम की महिला वैज्ञानिक स्कीम-सी (डब्ल्यूओएस-सी) के अंतर्गत उन महिला वैज्ञानिकों, जो आईपीआर विशेषज्ञ के रूप में करिअर अपनाना चाहती हैं, को बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआरएस) के क्षेत्र में एक वर्षीय प्रशिक्षण दिया जाता है। इस स्कीम की शुरूआत से, डब्ल्यूओएस-सी स्कीम के अंतर्गत चार सौ पाँच (405) महिला वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण दिया गया है। उनमें से लगभग 60% ने आईपीआर के क्षेत्र में अपना करिअर शुरू किया है तथा अग्रणी आईपीआर अटॉर्नी फर्मों, सरकारी एजेंसियों के आईपी विभागों, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और ज्ञान प्रसंस्करण संगठनों में कार्य कर रहीं हैं। भारतीय पेटेंट कार्यालय में एक सौ अडतीस (138) महिला वैज्ञानिक 'पेटेंट एजेंट' के रूप में पंजीकृत हैं तथा 12 भूतपूर्व महिला वैज्ञानिकों ने अपनी आईपी अटॉर्नी फर्में और आईपी कंसल्टेंसी/परामर्शी फर्में शुरू की हैं।

(घ) विगत दो वर्षों तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान महिला वैज्ञानिक स्कीम के अंतर्गत वितरित की गई वर्ष-वार धनराशि नीचे दी गई है:

| वित्तीय वर्ष | वितरित धनराशि |
|---|---|
| 2013-14 | 43 करोड़ |
| 2014-15 | 44 करोड़ |
| 2015-16 | 58 करोड़ |

अभी तक बायोकेयर के अंतर्गत महिला वैज्ञानिकों को प्रदान की गई छात्रवृत्ति सहित कुल 71.20 करोड़ रू. स्वीकृत किए गए हैं।

*******

भारत सरकार
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या** 3056
बुधवार, 16 मार्च, 2016 को उत्तर देने के लिए

**वैश्विक नवाचार रैंकिंग**

**3056. श्री कोनाकल्ला नारायण राव:**

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में सूचना प्रौद्योगिकी और नवाचार फाउण्डेशन (आईटीआईएफ) ने नवाचार रैंकिंग संबंधी ''कंट्रीब्यूटर्स एण्ड डिट्रैक्टर्स: 'रैंकिंग कंट्रीज' इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल इनोवेशन'' नामक अपनी रिपार्ट जारी की है तथा कहा है कि भारत अधिकांश वैश्विक नवाचार में निचले पायदान पर है और भारत की नीति ने वैश्विक नवाचार का सर्वाधिक नुकसान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा वैश्विक नवाचार रैंकिंग में सुधार के लिए उठाए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि प्राथमिक और मध्यम शिक्षा क्षेत्र में कम बजटीय आवंटन वैश्विक नवाचार रैंकिंग में भारत के पिछड़ेपन का मुख्य कारण है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**उत्तर**

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री वाई. एस. चौधरी)

(क) और (ख) जी हाँ, सूचना प्रौद्योगिकी और नवाचार फाउंडेशन (आईटीआईएफ) की जनवरी, 2016 में जारी रिपोर्ट के अनुसार 56 देशों का उनकी मौजूदा सार्वजनिक नीतियों के आधार पर मूल्यांकन किया गया है। इन नीतियों का, वैश्विक नवाचार के लिए सहायक अथवा हानिकारक परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया तथा यह परीक्षण अपने देश में नवाचार को प्रभावित करने वाले परिप्रेक्ष्य के बिना किया गया । प्रत्येक देश के अंतिम अंक को प्रति व्यक्ति आय के आधार पर सारणीबद्ध किया गया है तथा यह आंकलन 27 घटकों पर निर्भर है जिसमें में 14 घटकों में सकारात्मक प्रभावों के संबंध में कर की दरें तथा ऋण, शिक्षा, विश्व स्तरीय विश्वविद्यालयों, अनुसंधान और विकास निवेश, अनुसंधान उद्धरणों आदि पर व्यय शामिल है और 13 घटकों में वैश्विक नवाचार पर नकारात्मक प्रभाव के संबंध में व्यापार बाधाएं, बौद्धिक संपदा वातावरण, अनुदान, प्रतिबंध आदि शामिल हैं । देशों को विविध कोटियों में समूहबद्ध किया गया है और ब्रिक्स (ब्राजील, रूस और चीन) देशों को नवोन्मेषी व्यापारियों के तहत समूहबद्ध किया गया है। अंकों के आधार पर भारत, व्यापार बाधाओं के अत्यधिक प्रयोग और बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए नीरस वातारण प्रदान के कारण, 54वें पायदान पर है ।

(ग) समर्थ नवाचार पारितंत्र को बनाने के लिए भारत सरकार की बहुत सी नई पहलें पहले ही प्रक्रियाधीन हैं जोकि देश विशिष्ट चुनौतियों और अंतराल क्षेत्रों में से कुछ का समाधान भी करती हैं । भारत सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से वर्ष 2013 में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर नीति का निर्धारण किया है । यह नवोन्मेष के साथ ही साथ विज्ञान, प्रौद्योगिकी के संवर्धन और विकास के संबंध में देश को विश्व स्तर पर लाने के लिए किया गया । भारत ने 2010-20 के दशक को 'नवोन्मेष दशक' के रूप में घोषित किया है । सरकार ने देश में वैज्ञानिक अनुसंधान के संवर्धन और विकास के लिए बहुत से उपाय किए हैं । इन उपायों में, वैज्ञानिक विभागों के लिए योजना आबंटन में नियमित वृद्धि, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान के लिए नए संस्थानों की स्थापना, राष्ट्रीय संस्थानों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उभरते हुए और अग्रणी क्षेत्रों में अनुसंधान और सुविधाओं के लिए उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना, अनुसंधान छात्रों और वैज्ञानिकों दोनों के लिए नई और आकर्षक अध्येतावृत्तियों की शुरूआत, अनुसंधान छात्रों के लिए अध्येतावृत्तियों के हाल ही के संतोषजनक संशोधन, विश्वविद्यालयों में अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) के लिए अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण, सार्वजनिक-निजी अनुसंधान और विकास भागीदारी को बढावा देना, अनुसंधान और विकास इकाईयों को मान्यता देना, उद्यमों के लिए उत्कृष्ट अनुसंधान और विकास हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार, प्रौद्योगिकी व्यापार इन्क्यूबेटर तथा नवोन्मेष उद्यमिता विकास केन्द्रों की स्थापना, शामिल हैं ।

हाल ही की राष्ट्रीय पहलें जैसे मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, स्किल इंडिया, स्मार्ट सिटीज़, डिजिटल इंडिया, व्यापार करने की सुविधा पर बल और अवसंरचना विकास, वैश्विक नवाचार रैंकिंग में भारत को उपर ले जाएंगी ।

(घ) और (ड.) जी नहीं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग (एसई और एल), प्राथमिक और मध्यम स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम (एसएसए) का कार्यान्वयन करता है । वर्ष 2015-16 के लिए एसएसए कार्यक्रम के लिए 634021.69 लाख रूपयों का आवंटन किया गया है । अभिप्रेरित अनुसंधान के लिए विज्ञान खोज में नवोन्मेष (इंस्पायर) एक बहु घटकीय कार्यक्रम है जिसका अभिकल्पन और कार्यान्वयन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया और इसका लक्ष्य देश के अनुसंधान और विकास आधार को मजबूत बनाने के लिए प्रतिभाओं को आकर्षित करना और विभिन्न पुरस्कारों और अध्येतावृतियों के माध्यम से 10-32 आयुवर्ग की आवश्यकताओं का ध्यान रखना है । उच्च शिक्षा के स्तर पर, अनुसंधान और नवाचार में भारत की निष्पादनता हाल ही के वर्षों में आशाजनक और प्रभावी रही है जोकि इस तथ्य से प्रकट होती है कि स्कोपस डाटाबेस के रूप में वैज्ञानिक प्रकाशनों में भारत की वैश्विक स्थिति, 2005-2013 के दौरान 4.4 प्रतिशत के वैश्विक औसत की तुलना में 13.4 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ 2005 में 12वें स्थान से 2013 में छठे स्थान पर, रही । नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की वैश्विक स्थिति 2011 में छठे स्थान से सुधरकर 2013 में तीसरे स्थान पर रही । स्प्रिंगर नेचर की हाल ही की रिपोर्ट ने यह इंगित किया कि भारत विश्व स्तरीय विज्ञान में वृद्धि कर रहा है और हमारा देश विश्व स्तरीय वैज्ञानिक पत्रिकाओं की सूची में दुनिया में 13वें स्थान पर है। सीएसआईआर द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत पेटेंटों की संख्या में वृद्धि भी नवाचार अंतरण पर सकारात्मक प्रवृत्तियों को दर्शाता है ।

*****

भारत सरकार
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या** 3083
बुधवार, 16 मार्च, 2016 को उत्तर देने के लिए

**सत्यम**

**3083. श्री राजीव सातव:**
**डॉ. भोला सिंह:**
**श्री धनंजय महाडीक:**
**श्री मोहिते पाटिल विजयसिंह शंकरराव:**
**श्री टी. राधाकृष्णन:**
**श्रीमती सुप्रिया सुले:**

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सत्यम (साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ योगा एंड मेडिटेशन) नाम से नया कार्यक्रम शुरू किया है;
(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है;
(ग) क्या सरकार ने उक्त कार्यक्रम हेतु अनुसंधान संस्थाओं और विश्वविद्यालयों की पहचान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) सरकार द्वारा योग और ध्यान में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए अन्य कदमों का ब्यौरा क्या है ?

**उत्तर**
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री वाई. एस. चौधरी)

(क): जी, हां।

(ख): वर्ष 2015-16 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डी एस टी ) ने अपने मौजूदा संज्ञानात्मक विज्ञान अनुसंधान पहल (सी एस आर आई ) कार्यक्रम के अंतर्गत समाज कल्याण के लिए उनसे लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से प्राथमिक रूप से इन पारंपरिक पद्धतियों के वैज्ञानिक वैधीकरण के लिए योग एवं चिन्तन में गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान को पुनर्जीवित करने के लिए सत्यम (योग एवं चिन्तन का विज्ञान और प्रौद्योगिकी ) आरंभ किया। वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान सत्यम कार्यक्रम के लिए अलग से कोई बजट आबंटन नहीं किया गया है।

(ग): जी नहीं।

(घ ) : विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने अपनी नई पहल-योग एवं चिन्तन का विज्ञान और प्रौद्योगिकी (सत्यम) के अंतर्गत वर्ष 2015 के उत्तरार्द्ध में प्रस्ताव के माध्यम से संबंधित क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान करने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किया। डी एस टी द्वारा प्राप्त 578 प्रस्तावों की आरंभिक जांच के बाद दिनांक 21-22 दिसम्बर, 2015को भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, आई एन एस ए नई दिल्ली में आयोजित विशेषज्ञ समूह की बैठक में अनुवर्ती जांच के लिए 98 प्रस्तावों को उपयुक्त पाया गया। इस प्रयोजनार्थ, डी एस टी द्वारा एक कार्य बल गठित किया गया जिसमें संबंधित क्षेत्र के विख्यात विशेषज्ञों को शामिल किया गया।

डॉ. सुब्रत सिन्हा, निदेशक , राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केन्द्र, मानेसर की अध्यक्षता में सत्यम संबंधी कार्य बल की पहली बैठक दिनांक 24-26 फरवरी, 2016 के दौरान राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निमहंस), बंगलौर में आयोजित की गई जिसमें चयनित प्रस्तावों के प्रधान अन्वेषकों को प्रस्तुतीकरण के लिए बुलाया गया।

*****

भारत सरकार
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या** 3084
बुधवार, 16 मार्च, 2016 को उत्तर देने के लिए

**इंडियन साइंस कांग्रेस**

**3084. श्री विनायक भाऊराव राऊत:**

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधानमंत्री ने हाल ही में 103वीं इंडियन साइंस कांग्रेस में प्रौद्योगिकी विज़न दस्तावेज 2035 का लोकार्पण किया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विज़न दस्तावेज में चिन्हित की गई चुनौतियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इन चुनौतियों से निपटने के लिए कोई सुधारात्मक कदम उठाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में तैयार की गई कार्ययोजना का ब्यौरा क्या है ?

**उत्तर**

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री वाई. एस. चौधरी)

(क): जी, हां । प्रौद्योगिकी विज़न 2035 (टी वी 2035 ) प्रलेख को मैसुरू, कर्नाटक में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 103 वें अधिवेशन में दिनांक 3 जनवरी, 2016 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया।

(ख ): टी वी 2035 प्रलेख में वर्ष 2035 में भारतीयों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को अभिग्रहित किया गया है और निम्नलिखित 12 विशेषाधिकारों के अनुसार उन्हें उल्लिखित करता है :

1. स्वच्छ वायु एवं पेय जल
2. खाद्य एवं पोषण सुरक्षा
3. सबके लिए स्वास्थ्य देखभाल और लोक स्वास्थ्य
4. 24 x 7 ऊर्जा
5. शानदार पर्यावास
6. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आजीविका और सृजनात्मक अवसर
7. सुरक्षित एवं त्वरित आवागमन
8. सार्वजनिक संरक्षा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा
9. सांस्कृतिक विविधता और परिवर्तनशीलता
10. पारदर्शी एवं प्रभावी शासन
11. आपदा एवं जलवायु सहनशीलता
12. पर्यावरण अनुकूल संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधन

इसके अतिरिक्त, 10 महान चुनौतियों को निर्धारित किया गया है जिस पर बहुस्टेकहोल्डरों द्वारा संकेन्द्रित कार्रवाई करने की आवश्यकता है:

1. पोषण सुरक्षा की गारंटी देना और महिलाओं एवं बच्चों में रक्त अल्पता को दूर करना,
2. सभी नदियों और जल निकायों में जल की मात्रा एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करना,
3. हमारे देश के आकार के अनुपात में महत्वपूर्ण संसाधनों को सुरक्षित करना
4. सभी को शिक्षार्थी केन्द्रित, भाषा निरपेक्ष एवं संपूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना,
5. राष्ट्रीय जलवायु स्वरूपों को समझना और उन्हें अपनाना
6. भारत को जीवाश्म ईंधन मुक्त देश बनाना
7. लेह एवं तवांग तक रेलवे का विस्तार करना
8. स्थान एवं क्षमता निर्वाचक निरपेक्ष एवं वित्तीय सशक्तिकरण सुनिश्चित करना
9. सभी के लिए वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य विकेन्द्रीकृत एवं वितरित ऊर्जा विकसित करना
10. सर्वव्यापी पर्यावरण अनुकूल अपशिष्ट प्रबंधन का सशक्तिकरण करना

(ग ) और (घ ): मंत्रालय उन विभिन्न स्टेकहोल्डरों के लिए टी वी 2035 प्रलेख का प्रचार-प्रसार कर रहा है जो अपनी नीतियां एवं कार्यनीतियां बनाने में इस प्रलेख का उपयोग करेंगे।

भारत सरकार
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या** 3086
बुधवार, 16 मार्च, 2016 को उत्तर देने के लिए
**अनुसंधान केंद्रों के रूप में विश्वविद्यालय**

**3086. श्रीमती संतोष अहलावत:**
**श्री सी. आर. चौधरी:**
**श्री सुमेधानन्द सरस्वती:**

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विश्वविद्यालयों में, विशेषकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकास कार्यों का अभाव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या विश्वविद्यालयों को अनुसंधान केंद्रों के रूप में विकसित करने संबंधी कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास विचाराधीन है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थाओं की संख्या में वृद्धि करने, पाठ्यक्रम को अद्यतन और आकर्षक बनाने पर विचार कर रही है ताकि इस क्षेत्र की ओर विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित किया जा सके; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन संस्थाओं को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है ?

**उत्तर**
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री वाई. एस. चौधरी)

(क) जी नहीं। देश के विश्वविद्यालयों में विशे-कर विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकास कार्यों का अभाव नहीं है। देश में विश्वविद्यालय सेक्टर में अनुसंधान का जीर्णोद्धार करने के लिए सरकार की अनेक पहलों के परिणामस्वरूप अनुकूल परिणाम प्राप्त हुए हैं। वैज्ञानिक प्रकाशनों में विश्वविद्यालय सेक्टर की रा-ट्रीय भागीदारी व-र् 2003 में लगभग 15 प्रतिशत की तुलना में व-र् 2010 में बढ़कर 31 प्रतिशत हो गई है। विश्वविद्यालयों से उद्योग और शिक्षा के महत्वपूर्ण संबंधों के बारे में बताया गया है। हाल की रिपोर्ट यह बताती है कि शी-र् के दस भारतीय शैक्षणिक संस्थान, जिनका अनुसंधान में कारपोरेट सहयोगियों तक विस्तार हो रहा है, में से छह विश्वविद्यालय हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) की विश्वविद्यालयों और उच्च शैक्षणिक संस्थानों में एस एण्ड टी अवसंरचनाओं के प्रोन्नयन के लिए निधि (फिस्ट) और विश्वविद्यालय अनुसंधान और वैज्ञानिक उत्कृ-टता का संवर्द्धन (पर्स) कार्यक्रमों के माध्यम से अनुसंधान अवसंरचना के उन्नयन के लिए विश्वविद्यालयों/उच्च शैक्षणिक संस्थानों को पर्याप्त निधि प्रदान की गई है।

जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने विश्वविद्यालयों में जीव विज्ञान विभागों के स्तरोन्नयन/पुनः इंजीनियरिंग/पुनःमाडलिंग/सृजन के द्वारा उन्नत शिक्षा और अनुसंधान के लिए डीबीटी-बिल्डर (डीबीटी-शिक्षा और अनुसंधान के लिए जीव विज्ञान के विश्वविद्यालय अंतर वि-नयक विभाग) की शुरूआत की है।

(ख) और (ग) सरकार ने उन्नत अनुसंधान के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों में रा-ट्रीय हित के विशि-ट क्षेत्रों में अनेक उत्कृ-टता केन्द्रों की स्थापना की है।

(घ) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय देश में विज्ञान और अनुसंधान संस्थानों की संख्या में वृद्धि करने का विचार नहीं कर रहा है। यद्यपि शैक्षणिक संस्थानों में विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम को अद्यतन करना सीधे तौर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आता है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) ने डीबीटी समर्थित पीजी शिक्षण कार्यक्रमों (एम.एससी./एम.टेक/एम.वीएससी) के लिए मॉडल पाठ्यक्रम विकसित किया है। डीबीटी द्वारा मॉडल पाठ्यक्रम में संशोधन और पुनर्गठन पिछली बार व-र् 2008-09 के दौरान किया गया था।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

***

भारत सरकार
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या** 3090
बुधवार, 16 मार्च, 2016 को उत्तर देने के लिए

**गैर–सरकारी संगठनों को सहायता**

**3090. श्री तारिक अनवर:**

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन योजनाओं के नाम क्या हैं जिनके लिए गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को सहायता दी जा रही है;
(ख) गत दो वर्षों के दौरान एनजीओ को दी गई सहायता का योजना-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या एनजीओ समुचित रूप से कार्य कर रहे हैं; और
(घ) यदि नहीं, तो ऐसे एनजीओ के नाम क्या हैं और उन पर क्या कार्रवाई की गई है ?

**उत्तर**
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री वाई. एस. चौधरी)

(क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रोत्साहन के लिए सामाजिक-आर्थिक विकास योजनाओं तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) की महिलाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास और उपयोगिता कार्यक्रम (टीडीयूपीडब्ल्यू) के अन्तर्गत गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को अनुदान सहायता प्रदान करता है।

(ख) गत दो व-र्ों के दौरान एनजीओ को प्रदान की गई सहायता का योजना-वार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

***

**गत दो व-र्ों के दौरान गैर-सरकारी संगठनों(एनजीओ)को प्रदान की गई सहायता का योजना-वार ब्यौरा :**

| क्रम सं. | स्कीम का नाम | एनजीओ को प्रदान की गई सहायता की राशि (रू. करोड़ में) | |
|---|---|---|---|
| | | 2013-14 | 2014-15 |
| 1. | महिलाओं के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी | 1.20 | 1.08 |
| 2. | अपंग और वृद्धों के लिए प्रौद्योगिकीय सहयोग (टीआईडीई) | 0.26 | 1.26 |
| 3. | अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) | 1.80 | 1.92 |
| 4. | ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रौद्योगिकीय उन्नति (टीएआरए): दीर्घावधि मुख्य सहायता | 6.50 | 6.15 |
| 5. | जनजातीय उप योजना | 1.18 | 3.40 |
| 6 | महिलाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास और उपयोगिता कार्यक्रम (टीडीयूपीडब्ल्यू)-डीएसआईआर | 0.67 | 0.85 |

***

भारत सरकार
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या** 3111
बुधवार, 16 मार्च, 2016 को उत्तर देने के लिए

**भारत–फ्रांस समझौता**

**3111. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:**
**श्री नागेन्द्र कुमार प्रधान:**
**श्री धर्मेन्द्र यादव:**
**डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:**
**श्री विनायक भाऊराव राऊत:**
**श्री राहुल शेवाले:**
**श्री आधलराव पाटील शिवाजीराव:**

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और फ्रांस ने हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग संबंधी भारत-फ्रांस संयुक्त समिति की स्थापना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या अनुसंधान, विकास और नवोन्मेष के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए दोनों देश शीघ्र ही कार्य करेंगे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) दोनों देशों के इससे किस प्रकार और किस सीमा तक लाभान्वित होने की संभावना है; और

(ङ) समझौते पर क्रियान्वयन कार्य कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है ?

**उत्तर**
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री वाई. एस. चौधरी)

(क) जी, नहीं। तथापि भारत और फ्रांस ने 18 जुलाई, 1978 को दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित किए गए अंतर-सरकारी करार के अंतर्गत और पेरिस में 11 अप्रैल, 2015 को आयोजित फ्रांस गणराज्य के रा-ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री के बीच शिखर सम्मेलन के पश्चात जारी संयुक्त घो-णा के अनुसरण में 25 जनवरी, 2016 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग (जेसीएसटीसी) से संबंधित भारत-फ्रांस संयुक्त समिति की स्थापना हेतु करार पर हस्ताक्षर किए।

(ख) और (ग) करार के अंतर्गत दोनों देश ज्ञान सृजन, अनुसंधान, विकास और नवोन्मे-ा के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक विकास को प्राप्त करने के उद्देश्य से विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवोन्मे-ा में भारत-फ्रांस सहयोग के लिए प्राथमिकताओं की पहचान करने, सहयोग और निर्धारण करने के लिए मिलकर कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जेसीएसटीसी भारत-फ्रांस विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवोन्मे-ा सहयोग को सूकर बनाने के लिए समीक्षा करेगा तथा साथ ही प्रचालनात्मक रीतियों के संबंध में सिफारिशें भी प्रदान करेगा।

(घ) यह करार भारत-फ्रांस विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवोन्मे-ा सहयोग को व्यापक बनाने के लिए रा-ट्रीय प्रणालियों और संसाधनों के स्तरोन्नयन द्वारा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग अनुसंधान के क्षेत्रों में उन्नत समान्य रा-ट्रीय लक्ष्यों को सूकर बनाने में सहायता प्रदान करता है। यह आर्थिक और सामाजिक लाभ के लिए ऐसे सहयोग के वैज्ञानिक परिणामों के अनुप्रयोगों को भी प्रोत्साहित करेगा;

(ङ) इस करार के अंतर्गत भारत और फ्रांस में प्रत्येक दो व-र्ा में एक-एक बार बारी-बारी से अथवा दोनों पक्षों के द्वारा पारस्परिक रूप से यथानिर्णित वीडियो कान्फ्रेंसिंग जैसे अन्य उपयुक्त संचार माध्यमों के जरीए जेसीएसटीसी की बैठक की व्यवस्था का प्रावधान है।

***

भारत सरकार
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या** 3112
बुधवार, 16 मार्च, 2016 को उत्तर देने के लिए

**डी.वी.ओ. को अनुदान**

**3112. श्री सदाशिव लोखंडे:**

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे मंडलीय स्वैच्छिक संगठन जो सरकार से अनुदान प्राप्त करते हैं, के क्या नाम है;
(ख) आज की तिथि के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक मंडल के द्वारा जिनके प्रस्तावों को अनुमोदन प्राप्त हो गया है, के नाम क्या है;
(ग) प्रस्ताव के अनुमोदन हेतु क्या मानदंड अपनाए गए हैं; और
(घ) अनुमोदित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

**उत्तर**
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री वाई. एस. चौधरी)

(क), (ख) और (घ ): स्वैच्छिक संगठन (वी ओ ) जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से अनुदान प्राप्त करते हैं और जिनके प्रस्ताव को विगत तीन वर्षों के दौरान आज तक की स्थिति के अनुसार अनुमोदित किया गया है, के नाम अनुलग्नक में दिए गए हैं।

(ग ): वित्तीय सहायता के लिए स्वैच्छिक सगठनों से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को प्राप्त प्रस्तावों को अनुमोदित करने के लिए अपनाए गए मानदंडों में इस प्रयोजनार्थ बनाए गए प्रोफॉर्मा के अनुसार इसकी शुद्धता एवं पूर्णता की जांच किया जाना शामिल है। आवेदन की जांच यह सुनिश्चित करने के लिए भी की जाती है कि यह पात्रता मानदंडों को पूरा करता है कि इन स्वैच्छिक संगठनों को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत किया जाना चाहिए और इन न्यासों को भारतीय न्यास अधिनियम 1982 अथवा चेरिटेबल अथवा धार्मिक अधिनियम 1920 अथवा संबंधित राज्य अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किया जाना चाहिए। इसे इनके पंजीकरण और वार्षिक लेखा विवरण एवं तुलन पत्र के बाद न्यूनतम 3 वर्षों से अस्तित्व में होना चाहिए। संगठन से प्राप्त प्रस्ताव जो उपर्युक्त मानदंडो को पूरा करता हैं और जिन्हें व्यवस्थित पाया गया है, को समकक्ष समीक्षा के लिए भेजा जाता है। कुछ मामलों में, प्रस्ताव का मूल्यांकन करने के लिए विषय विशेषज्ञों द्वारा कार्य स्थलों का दौरा भी किया जाता है। इसके बाद प्रस्तावों के साथ-साथ विशेषज्ञों की टिप्पणियों की जांच इस प्रयोजनार्थ गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा की जाती है। प्रस्ताव के प्रधान अन्वेषक को भी विशेषज्ञ समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण के लिए बुलाया जा सकता है। इसके बाद, अनुशंसित मामलों को वित्तीय सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

**विगत तीन वर्षों में स्वैच्छिक संगठनों को वित्तपोषित प्रोजेक्टों की सूची दर्शाने वाला विवरण :**

**दिशा और टाइड** 2015–2016

| **क्रम सं.** | **स्वैच्छिक संगठन के नाम एवं प्रोजेक्ट का शीर्षक** |
|---|---|
| 1. | महाराष्ट्र, श्रमजीवी जनता सहायक मंडल, महाराष्ट्र में सतारा जिले के पटना ब्लॉक में ग्रामीण महिला प्रौद्योगिकी |
| 2. | होमस्टीडगार्डन, बेक यार्ड पोल्ट्री, रेडी टू कूक कंपलीमेन्ट्री फूड्स एंड आई ई सी, डंगोरिया चेरिटेबल ट्रस्ट, हैदराबाद के माध्यम से आई सी डी एस में कार्य करने वाले बच्चों एवं महिलाओं के भोजन को समृद्ध करना । |
| 3. | केंगेरि होबली, बंगलौर, ऋषि फाउंडेशन, बंगलौर-560060 के चुनिंदा राजस्व ग्रामों की चुनिंदा अर्द्ध-ग्रामीण गरीब महिलाओं की संवर्द्धित पोषणीय एवं वित्तीय स्थिति के लिए स्थायी खाद्य सामग्री एवं इसके उपयोग में सूक्ष्म पोषक तत्वों को संवर्द्धित करने वाले पेटेंटयुक्त सूत्र का अनुप्रयोग, दुहराव, वैज्ञानिक वैधीकरण एवं उन्नयन । |
| 4. | ग्रामीण महिला प्रौद्योगिकी पार्क, केरल ग्रामीण विकास एजेंसी, कोल्लम, केरल |
| 5. | स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा, बंगलौर को पुनजीर्वित करने के लिए हरित प्रौद्योगिकी, फाउंडेशन के माध्यम से कर्नाटक के चुनिंदा गांवों में महिलाओं का आजीविका संवर्द्धन । |
| 6. | महिला प्रौद्योगिकी पार्क, वर्धा जिला, महाराष्ट्र, मगन संग्रहालय समिति, वर्धा-442001, महाराष्ट्र। |
| 7. | तिरूवनतपुरम जिला में लघु एवं सीमांत महिला डेयरी कृषकों में वैज्ञानिक चारा कृषि संवर्द्धन। मित्र निकेतन, तिरूवनंतपुरम -695543 |
| 8. | अपशिष्ट से धन स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर मशरूम कृषि : एक व्यावहारिक दृष्टिकोण, शक्ति, कोची-682018 |
| 9. | पशुओं के समुचित प्रबंधन और प्रजनन गुणवत्ता सुधार को प्रोत्साहित कर तीन गांवों के स्वसहायता समूह सदस्यों का आजीविका संवर्द्धन। शासिकाश्रय सांस्कृतिक कला, गांधीनगर, घटांजी-445301 (एम एस ) |
| 10. | राजस्थान के कोटा जिले में डिगोड ब्लॉक सुल्तानपुर में ग्रामीण महिला प्रौद्योगिकी पार्क, सोसायटी फॉर इनवायरनमेंट एवं डवलपमेंट नगर, दिल्ली-110092 । |
| 11. | पवगाड़ा तालुक के ग्रामीण क्षेत्रों में जूट एवं सूती हस्तशिल्प के माध्यम से रोजगार एवं आय सृजन अवसरों द्वारा दुर्बल प्रवासी महिलाओं के लिए स्थायी आजीविका सशक्तिकरण, ग्रामीण शिक्षा एवं विकास सोसायटी, टूमकूर जिला कर्नाटक । |
| 12. | कृषि संबद्ध सूक्ष्म एवं लघु उद्यम विकास के माध्यम से केरल के कंजिरापल्ली, रन्नी और पथानमथिटा तालुकों के ग्रामीण एवं अर्द्ध शहरी क्षेत्र में महिलाओं के संपूर्ण सशक्तिकरण के लिए ग्रामीण महिला प्रौद्योगिकी पार्क, पीरमेड डिवलपमेंट सोसायटी इडुक्की । |
| 13. | शिवपुरी जिला मध्यप्रदेश में महिलाओं में सूक्ष्मपोषक कुपोषण को कम करने के लिए अन्य कार्यनीतियों के रूप में घरेलू बागवानी, शक्तिशाली महिला संगठन । |
| 14. | महिलाओं के लिए पूरक आय के लिए मानकीकृत मूल्य संवर्द्धित कटहल उत्पाद, शांतिग्राम, तिरूवनंतपुरम-695526 |
| 15. | घरेलू पोषक सुविधाओं का उपयोग कर और स्वास्थय एवं पोषण संबंधी ज्ञान संवर्द्धन करके स्वास्थ्य पोषक स्थितियों में सुधार करना, कार्य अनुसंधान एवं प्रलेखन केन्द्र, भुवनेश्वर-751030-ओडीशा। |
| 16. | कुल्लू घाटी, हिमाचल प्रदेश में गरीब स्वसहायता महिला समूहों में वाइल्ड रोज हिप्स एवं प्रोमोशन, एक स्थायी आजीविका के लिए फसल पश्च प्रौद्योगिकी का मानकीकरण, जागृति, |

| | |
|---|---|
| | कुल्लू। |
| 17. | ग्रामीण महिलाओं की स्वास्थ्य एवं पोषण स्थिति : संगारेड्डी, मेडक और सिड्डीपेट प्रभाग: मेडक जिला, में आई सी डी एस और गैर-आई सी डी एस क्षेत्रों की महिलाओं का तुलनात्मक अध्ययन, ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी सोसायटी, मेडक जिला, आंध्रप्रदेश । |
| 18. | उत्तरी भारत में विटामिन डी के पूरक अवयवों का उपयोग कर और जीवन शैली सुधार के माध्यम से मधुमेह पूर्व महिला रोगियों में टाईप 2 मधुमेह का निवारण (प्रीवेन्ट-विन स्टडी, डाइवेटीज फाउंडेशन (इंडिया और फोटिस हॉस्पीटल, नई दिल्ली-110016 |
| 19. | सोनाबाड़ी ग्राम, भूरबंडा ब्लॉक, मोरी गांव जिला, असम में महिला प्रौद्योगिकी पार्क (ब्लॉक जिला, राज्य सहित , स्थायी विकास संसाधन केन्द्र, गुवाहाटी – 781007 |
| 20. | समेकित शुद्धजल जलकृषि रामकृष्ण सेवाश्रम, भदरक, उड़ीसा-756121 के माध्यम से उडीसा के भदरक जिले के पिछड़े समुदायों की ग्रामीण महिलाओं का आर्थिक एवं आजीविका विकास । |
| 21. | स्थायी कृषि के लिए वायनाड जिले में प्रमुख नकदी फसलों के गुणवत्तापूर्ण पौधरोपण सामग्री निर्माण, संग्रहण एवं प्रसंस्करण केन्द्रों के लिए महिला एस एच जी आधारित उद्यमों की स्थापना" मालाबार सामाजिक सेवा सोसायटी, कन्नूर-670004, केरल । |
| 22. | प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकीय सहयोग के माध्यम से वृद्ध व्यक्तियों का स्वास्थ्य देखभाल, बापू नेचर क्योर होस्पिटल एवं योगाश्रम, नई दिल्ली-110091 |
| 23. | दृष्टि विकलांग शिक्षा के लिए इन्टरलाइन ब्रेल लेखन स्लेट का निर्माण, मदर मेरी एडुकेशनल ट्रस्ट, डिंडीगुल |
| 24. | ग्रामीण उद्यम उन्नयन, सीटीडी, सेस, नई दिल्ली-110017 |

2014–2015

| | |
|---|---|
| 25. | प्रतिरोधी स्टार्च ओर स्वास्थ्य संबंधी इसके लाभों पर विशेष जोर देते हुए पारंपरिक एवं प्रसंस्कृत भारतीय खाद्य पदार्थों का कार्बोहाइड्रेट प्रलेखीकरण- महिला उद्यमियों का उद्भव मद्रास मधुमेह अनुसंधान फाउंडेशन, चैन्नई-600086 |
| 26. | भारतीय महिला वैज्ञानिक : जीवन एवं उपलब्धियां डा. साउण्ड पिक्चर फॉर रिसर्च ऑन विमेन (स्पेरो ) मुंबई-400061, महाराष्ट्र। |
| 27. | गर्भवती महिलाओं पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए यूरिनरी फ्लूओराइट लेवल निर्धारित करने के लिए सरल, प्रयोक्ता अनुकूल क्षेत्र जांच किट का निर्माण, डेवलपमेंट अल्टरनेव्सि, नई दिल्ली । |
| 28. | महाराष्ट्र केयावतमल जिले में युवा जनजातीय महिलाओं में रक्तअल्पता रोग के निवारण के लिए समुदाय आधारित दृष्टिकोण विकसित करना, धर्ममित्र, वर्धा-442001 |
| 29. | स्थायी कृषि के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति एवं दलित ग्रामीण कृषक भागीदारीपूर्ण कार्यक्रम । ग्रामीण विकास केन्द्र एवं परामर्शी सोसायटी (सी आर डी सी ) डाकघर-थाली, चाकसू । |
| 30. | किफायती स्वच्छता नेपकिंस केन्द्र की स्थापना के माध्यम से ग्रामीण समुदाय का सशक्तिकरण, हेसको देहरादून-248001 |
| 31. | इसके मूल्य संवर्द्धन के लिए वेटल वाइन की वैज्ञानिक उपचार पद्धतियों के अनुप्रयोजन से महिला बेटेल वाइन कृषक (उड़ीसा का ईरसामा ब्लॉक ) का आजीविका पुनरूद्धार। |
| 32. | महिला स्वसहायता समूहों के माध्यम से शूट टिप कल्चर और विपणन के माध्यम से केला का बृहद् उत्पादन। पूर्वोत्तर विकास सोसायटी, गुवाहाटी-781001, असम |
| 33. | सूती निटवीयर अपशिष्ट से किफायती स्वच्छता नेपकिन्स का उत्पादन एवं विपणन, बैफ विकास अनुसंधान फाउंडेशन, पुणे । |

| | |
|---|---|
| 34. | कपास की रूई के अवशेष का उपयोग कर महिलाओं के लिए किफायती स्वच्छता नेपकिन का निर्माण । सेवा अहमदाबाद-380018 |
| 35. | विदर्भ क्षेत्र के वर्धा जिले में तीन तालुकों के चुनिंदा गांवों में ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी से सूक्ष्म बागवानी तकनीक का उपयोग कर किचन गार्डन का विकास, सामुदायिक कल्याण के लिए प्राकृतिक संगठन, वर्धा-442001 |
| 36. | किफायती स्वच्छता नेपकिन के उत्पादन एवं जागरूकता में उन्हें शामिल करके स्वास्थ्य एवं आय सृजन के रूप में ग्रमीण महिलाओं को बेहतर जीवन स्तर उपलब्ध कराना। सोसायटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट, मंडी-175006 |
| 37. | कांचीपुरम, तमिलनाडु में जैविक कृषि संवर्द्धन के लिए महिला प्रौद्योगिकी पार्क, भारतीय ज्ञान तंत्र केन्द्र, तमिलनाडु । |
| 38. | समेकित फल प्रसंस्करण सह विकास के माध्यम से सुदूर गढ़वाल हिमालय में एस एंड टी आधारित विकास के लिए नवोन्मेषी दृष्टिकोण, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं विकास महल, नई दिल्ली। |
| 39. | श्री भगवती नंदर, सोशल एक्शन फॉर रूरल एडवांसमेंट सोसायटी, सीकर, राजस्थान के मार्गदर्शन में सोलर इलेक्ट्रॉनिक तकनीकी कौशल प्रदान कार्यशाला के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण |
| 40. | उड़ीसा में प्राचीन ग्रामीण जनजातीय महिलाओं के लिए किचन गार्डन और जड़ी-बूटी, उपचार कोवेनेंट सेन्टर फॉर डेवलेपमेंट (सी सी डी ), छत्तीसगढ़-491001 |
| 41. | सौर शुष्मकों एवं उपयुक्त पैकेजिंग में वाणिज्यिक प्रचालनों के लिए हिमालयी क्षेत्र में उत्पादित फलों का विकास,ऊर्जा, पर्यावरण एवं विकास सोसायटी, हैदराबाद-500003 |
| 42. | सौर शुष्मकों एवं उपयुक्त पैकेजिंग में वाणिज्यिक प्रचालनों के लिए हिमालयी क्षेत्र में उत्पादित फलों का विकास,ऊर्जा, पर्यावरण एवं विकास सोसायटी, हैदराबाद-500003 |
| 43. | साबुन के रूप में निर्मित जैव कृमिनाशक तेलों का निर्माण एवं क्षेत्र जांच : तमिलानाडु में प्रायोगिक परियोजना, भारतीय ज्ञान तंत्र केन्द्र, चैन्नई-600085, तमिलनाडु |
| 44. | तमिलनाडु के महिला डेयरी किसानों की कृषि आय में सुधार करने के लिए चारा नवोन्मेष कार्य संचालन, ए एम ई, फांउडेशन, कर्नाटक । |
| 45. | नीलकंठ न्याय पांचायत, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड के महिला समूहों के लिए आय सृजन क्रियाकलाप के रूप में ग्रामीण बैकरी को प्रोत्साहन, सोसायटी फॉर पीपुल्स इकोनोमिक डेवलेपमेंट, देहरादून । |
| 46. | वृद्ध एवं विकलांग व्यक्तियों के लिए कैरम बोर्ड, मदर मेरी एडुकेशनल ट्रस्ट, डिंडिगुल जिला-624004 तमिलनाडु । |

2013–2014–**एस सी एस पी**

| | |
|---|---|
| 1. | आजीविका के लिए आलू पापड़/संबंधित उत्पाद प्रक्रिया मानकीकरण के लिए अन्वेषणात्मक अनुसंधान प्रोजेक्ट, द्रोपदी ड्रीम ट्रस्ट, नई दिल्ली |
| 2. | कांचीपुरम में जैविक कृषि संवर्द्धन के लिए महिला प्रौद्योगिकी पार्क, भारतीय ज्ञान तंत्र केन्द्र, चैन्नई। |
| 3. | उत्तरी भारत में विटामिन डी पूरक अवयव के उपयोग एवं जीवनशैली बदलाव के जरिए मधुमेह पूर्व रोज वाली महिलाओं में टाईप 2 मधुमेह का निवारण (प्रीवेंट-विन स्टडी ) मधुमेह फाउंडेशन नई दिल्ली (भारत ) |
| 4. | उत्तरकाशी जिले के मनेरी भाली बांध प्रभावित धनारी पट्टी गांवों में डेयरी विकास के लिए चारा |

| | |
|---|---|
| | विकास के माध्यम से आजीविका संवर्द्धन और कठिनाई न्यूनीकरण, संकल्प सामाजिक संस्था, उत्तराखंड । |
| 5. | शहरी एवं ग्रामीण अंतर को समाप्त करने सबंधी भारत –यू के सहयोगात्मक अनुसंधान पहल के अंतर्गत ग्रामीण संकर ऊर्जा-उद्यम तंत्र (आर एच ई ई एस ) प्रौद्योगिकी सूचना विज्ञान डिजाइन प्रयास (टाइड ) # 19, 9वां क्रास, मल्लेश्वरम, बंगलौर-560003 |
| 6. | महिला स्वसहायता समूहों के माध्यम से शूट टिप कल्चर और विपणन के माध्यम से केला का वृहत स्तर पर उत्पादन, पूर्वोत्तर विकास सोसायटी, सरस्वती मार्केट , द्वितीय मंजिल, जसवंत रोड, पान बाजार, गुवाहाटी-781001, असम |
| 7. | अपशिष्ट कागज पुन: चक्रण प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग के द्वारा अगातश्वरम ब्लॉक की ग्रामीण बेरोजगार महिलाओं के लिए स्थायी आजीविका, सामाजिक विकास सोसायटी तमिलनाडु |
| 8. | श्रृंगारिक एवं समेकित मात्स्यिकी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के लिए परिवार आधारित आर्थिक सुरक्षा, सर्वाइड फाउंडेशन, महाराष्ट्र । |
| 9. | सूक्ष्म जैविक टीकाओं के माध्यम से वर्मी कंपोस्ट का मूल्य संवर्द्धन, प्राकृतिक जीव वैज्ञानिक संसाधन एवं सामुदायिक विकास केन्द्र, कर्नाटक । |
| 10. | चुनिंदा औषधीय पौद्यों में अधिप्रमाणन क्षेत्र किटों और अर्द्ध परिमाणात्मक सक्रिय अवयवों का निर्माण, स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा पुनर्जीवीकरण फाउंडेशन, कर्नाटक |
| 11. | पर्यावास सेवाओं में ग्रामीण महिलाओं के क्षमता निर्माण के लिए अखिल भारतीय समन्वित प्रोजेक्ट, डेवलपमेंट अलटरनेटिव्स, नई दिल्ली। |
| 12. | घरेलू गार्डन, पूरक भोजन निर्माण के लिए सुलभ बेकयार्ड पोल्ट्री और आई ई सी के माध्यम से आई सी डी एस में कार्यरत बच्चों एवं महिलाओं के भोजन को समृद्ध करना, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश । |
| 13. | वीरभूम जिला, पश्चिम बंगाल में संवर्द्धित रीलिंग मशीन के साथ जनजातीय महिलाओं द्वारा कच्चे सिल्क का उत्पादन सह प्रशिक्षण, श्री अरबिन्दों अनुशीलन सोसायटी, पश्चिम बंगाल । |
| 14. | गुजरात में एंडी रेशम का कोकून पश्च प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण एवं प्रचार-प्रसार 11 खादी ग्रामोद्योग प्रयोग समिति, गुजरात |
| 15. | प्रतिरोधी स्टार्च और स्वास्थ्य संबंधी इसके लाभों पर विशेष जोर देते हुए पारंपरिक एवं प्रसंस्कृत भारतीय खाद्य पदार्थों का कार्बोहाइड्रेट प्रलेखन-महिला उद्यमियों का उद्भव " मद्रास मधुमेह अनुसंधान फाउंडेशन, चैन्नई-600086 |

2013–2014 **एस सी एस पी**

| | |
|---|---|
| 16. | प्राकृतिक संसाधनों के वैज्ञानिक प्रबंधन के माध्यम से ग्रामीण जीवन स्तर सुधार, समेकित ग्रामीण विकास एवं प्रबंधन (आई आर डी एम ), रामकृष्ण मिशन विवेकानंद विश्वविद्यालय (आर के एम वी यू ), कोलकाता-700103 |
| 17. | कौशल संवर्द्धन एवं आजीविका सहायता के माध्यम से सागर द्वीप, दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल के निर्धारित गांवों में अनुसूचित जाति समुदाय का सामाजिक-आर्थिक उम्थान। परिवेश उन्नयन परिषद (पी यू पी ए ), कोलकाता-700032, पश्चिम बंगाल । |
| 18. | वैज्ञानिक सहयोग से मौजूदा कौशल के वैधीकरण के माध्यम से सुंदरवन में पारंपरिक मछुआरों का आजीविका संवर्द्धन। इन्द्रनारायणपुर नजरूल समिति संघ (आई एन एस एस ), जिला 24 परगना-743349, पश्चिम बंगाल । |
| 19. | क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकीय सशक्तिकरण के माध्यम से स्थायी आजीविका। नयनतारा मेमोरियल चेरिटेबल ट्रस्ट। कोलकाता-700020, पश्चिम बंगाल । |

| | |
|---|---|
| 20 | आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों का धारणीय विकास। बेलूनी जनकल्याण संघ, जिला दक्षिण 24 परगना-743399, पश्चिम बंगाल। |
| 21 | सिलेज और लेगूम लीफ मील बनाते हुए खाद्य संरक्षण और भण्डारण। टीवीएस शैक्षणिक सोसाइटी, जयलक्ष्मी एस्टेट, चैन्नै-600006 |
| 22 | बकरी और सूअर पालन प्रशिक्षण स्कूल और संसाधन सरक्षण प्रौद्योगिकियों(आरसीटी) के माध्यम से जीविका विकास। श्रम भारती खादीग्राम, बिहार-811313। |
| 23 | जिला देहरादून, उत्तराखण्ड के साहपुर ब्लॉक के अ.जा. प्रधान गांवों में उन्नत प्रौद्योगिकी पैकेज के माध्यम से बैकयार्ड में सब्जी पैदा करना। हिमालयी पर्यावरणीय अध्ययन और संरक्षण संगठन (एचईएससीओ) देहरादून-248001 |
| 24 | राजस्थान के सुखा पीड़ित क्षेत्र में अ. जाति के छोटे किसानों के द्वारा उन्नत कृनि और व-र्ा जल संचयन के लिए एसएण्डटी आधारित सहयोग के प्रदर्शन की शुरूआत। मर्यादा सेवा संस्थान, भागाकोट, बांसवाडा-327001, राजस्थान। |
| 25 | जैव-उर्वक (अजोला) और आर्गेनिक खाद (वर्मी कम्पोस्ट) के उत्पादन और अनुप्रयोग द्वारा कन्याकुमारी जिला के अनुसूचित जाति वाली जनसंख्या का आजीविका विकास। सोसाइटी फॉर सोशल डेवलेपमेंट (एसओएसओडी), तमिलनाडु-6297041 |
| 26 | राजस्थान के झुंझूनू जिला में अनुसूचित जाति के किसानों के लिए उन्नत पशुपालन सहित नवोन्मे-ी बागवानी पद्धतियां, संशोधित कृनि प्रौद्योगिकियों के विकीर्णन के लिए समेकित अन्तक्षेपण। |
| 27 | अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए कौशल आधारित माइक्रो उद्यम विकास। पारिस्थितिकीय अनुसंधान समर्थन और अध्ययन प्रति-ठान (एफईआरएएल), तमिलनाडु |
| 28 | संसाधन प्रबंधन, प्रौद्योगिकी अंतरण और सशक्तिकरण के माध्यम से शु-क क्षेत्र में अनुसूचित जाति भी महिलाओं का विकास। स्वनियोजित महिला संघ (सेवा), अहमदाबाद, 380001, गुजरात। |
| 29 | संसाधनों और कुशलताओं के धारणीय और समेकित उपयोग के लिए तकनीकी सहयोग के माध्यम से एससी समुदाय की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का संवर्द्धन। मध्य प्रदेश विज्ञान सभा, भोपाल-462021, मध्य प्रदेश। |
| 30 | संसाधन प्रबंधन, एस एण्ड टी सहयोग और सशक्तिकरण के माध्यम से एस सी समुदाय का समेकित विकास। पर्यावरण और विकास सोसाइटी (एसईडी), दिल्ली। |
| 31 | पूर्वोत्तर क्षेत्र में एस टी केन्द्रीत प्रतिभागिता विकास और शांति कार्य। तमुलपुर आंचलिक ग्रामदान संघ, असम। |
| 32 | अनुसूचित जाति और जनजाति की ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ग्रामीण संसाधन और उपयुक्त प्रौद्योगिकी का उपयोग। उद्योग विकास, भुवनेश्वर, उड़ीसा। |
| 33 | प्रौद्योगिकीय सहयोग के माध्यम से एस सी समुदाय का सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण। ग्रामीण एडवांस्मेट सोसाइटी के लिए सोशल एक्शन (सारा), राजस्थान। |
| 34 | शु-क क्षेत्र में अनुसूचित जाति समुदाय के लिए समेकित विकास प्रोजेक्ट। यूआरएमयूएल, |

| | |
|---|---|
| | ग्रामीण स्वास्थ्य अनुसंधान और विकास ट्रस्ट, बिकानेर-334001, राजस्थान। |
| 35 | हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला के पर्वतीय फार्मों में ग्रामीण जनसंख्या के बीच फसल और सब्जी फसल के उन्नत पैकेज के आमेलन के माध्मम से खाद्य और जीविका सुरक्षा का संवर्द्धन। मानव समावेशन के माध्यम से सामाजिक जागरूकता, हिमाचल प्रदेश । |
| 36 | बेलगाम जिला, कर्नाटक के काटेगेरी अनुसूचित जाति कलोनी, अथिनी में सामाजिक-आर्थिक उद्यम। विमोचना देवदासी पुनस्वस्ती संघ अथानी, कर्नाटक। |
| 37 | बागेश्वर के कापकोट ब्लाक में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग के माध्यम से अनुसूचित जाति समुदाय के स्तरोन्नयन हेतु मधुमक्खी पालन और विकास। पर्यावरण संरक्षण के लिए हिमालयी संगठन, उत्तराखंड। |
| 38 | संसाधन प्रबंधन, प्रौद्योगिकी अंतरण और सशक्तिकरण के माध्यम से मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र की अनुसूचित जाति समुदाय का आर्थिक विकास। उन्नत अनुसंधान और विकास केन्द्र, मध्य प्रदेश। |
| 39 | प्रौद्योगिकी सहयोग के माध्यम से येलांदुर तालुक, चामराज नगर जिला, कर्नाटक के आंबले (द्वितीय गांव में अनुसूचित जाति (एससी) समुदाय की जीविका और रहन-सहन संबंधी स्थितियों में सुधार। विवेकानद ट्रस्ट, बोगादी, मैसूर। |
| 40 | मंगलापुरम गांव, चल्लापली मण्डल-कृ-ण जिला, आन्ध्र प्रदेश के एस सी समुदाय में धारणीय जीविका के लिए एस एण्ड टी आधारित माइक्रो उद्यम और पीपल आर्गेनाइजेशन को प्रोत्साहन। प्रजा प्रगति सेवा संघम (पीपीएसएस) , आन्ध्र प्रदेश। |
| 41 | उपलब्ध स्थानीय संसाधनों और उपयुक्त प्रौद्योगिकीकियों का अनुप्रयोग का उपयोग करते हुए उत्पादन इकाइयों की स्थापना करते हुए कन्नूर जिला के रमनथाली गांव में एस सी समुदाय का विकास। पटयाकूर समुदाय विकास प्रोजेक्ट, केरल-670633 |
| 42 | संसाधन प्रबंधन, प्रौद्योगिकी अंतरण और सशक्तिकरण के माध्यम से महारा-ट्र राज्य के सोलापुर जिला के अनुसूचित जाति समुदाय का विकास/ महारा-ट्र में कृ-ि नवीकरण के लिए कार्य (एएफएआरएम) पुणे-4111037 |
| 43 | वर्धा जिला महारा-ट्र में एस सी/एसटी समुदाय के पारंपरिक शहद कारीगरों के लिए उपयुक्त आनुशोंगिक जीविका कार्यक्रमों का कार्यान्वयन। |
| 44 | अमेठी में बंजर भूमि पर कृ-ि बागवानी वनीकरण/ ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान(आईएसटीएआरडी), लखनऊ-226016, उत्तर प्रदेश। |
| 45 | सीलू ब्लॉक के अनुसूचित जाति समुदाय का संसाधन प्रबंधन, प्रौद्योगिकी अंतरण और सशक्तिकरण/मगन संग्रहालय समिति, कुमारप्पा मार्ग, वर्धा। |
| 46 | मेलघाट में अनुसूचित जाति (बसोड) कारीगरों के तकनीकी कौशल उन्नयन के लिए प्रोजेक्ट प्रस्ताव। सम्पूर्ण बांस केन्द्र, लवादा, जिला अमरावती, महारा-ट्र। |
| 47 | मक्का की फसलों के मूल्य संवर्द्धन के माध्यम से अनुसूचित जाति समुदाय का आय सृजन। हिमालय पर्यावरण जड़ी-बूटी कृ-ि संस्थान, उत्तराखंड |
| 48 | गंगोत्री, यमनोत्री के धार्मिक पर्यटकों द्वारा उत्पन्न ठोस कचरे का प्रबंधन और रोजगार सृजन के लिए जैविक खाद विकास हेतु इसका उपयोग। जनजाति महिला कल्याण एवं बालोत्थान समिति, उत्तराखण्ड। |
| 49 | पर्वतीय पारितंत्र में प्रौद्योगिकी अंतरण के माध्यम से एससी समुदाय के समेकित विकास के लिए समन्वय कार्यक्रम। हिमालयी पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन |

| | |
|---|---|
| | (एचईएससीओ), ग्रामीण प्रौद्योगिकी डीलिवरी, देहरादून-248001 |
| 50 | उत्तरकाशी जिला के धनारी क्षेत्र में सब्जी वाली फसलों और फल वाले वृक्षों की कृषि के लिए समेकित प्रशिक्षण कार्यक्रम और पद्धति प्रदर्शन के माध्यम से बहुत ही कम भूमि के स्वामियों का आर्थिक उन्नयन, तरून पर्यावरण विज्ञान संस्थान, उत्तराखंड। |
| 51 | पश्चिमी महारा-ट्र के शु-क क्षेत्र में प्रौद्योगिकी इन्पुट और माइक्रो उद्यम विकास के माध्यम से एस सी समुदाय का समावेशी विकास। एप्रोप्रिएट ग्रामीण प्रौद्योगिकी संस्थान (एआरटीआई), पुणे-4111441 महारा-ट्र |
| 52 | रामबांस कृषि और फाइबर उपयोग की नई तकनीकी के माध्यम से अनुसूचित जाति कारीगरों का सामाजिक-आर्थिक स्थिति का स्तरोन्नयन/ अमृतवाहिनी ग्रामीण विकास संस्था, अहमदनगर। |
| 53 | बांस कृषि के माध्यम से एस सी और बीपीएल परिवारों के लिए समावेशी आय वृद्धि, पर्यावरण एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश। |
| 54 | पाण्डिचेरी में बहूर समुदाय के ऊचीमेडू गांव में सहयोग के साथ धारणीय उद्यमों की स्थापना द्वारा एसटी समुदाय का विकास। पाण्डिचेरी विज्ञान मंच, पाण्डिचेरी-605010 |
| 2014-2015 | |
| 55 | ब्रियूड विनेगर उत्पादन और वर्मी कंपोस्टिंग के माध्यम से ग्रामीण एससी/एसटी के सशक्तिकरण के लिए धारणीय रोजगार सृजन प्रौद्योगिकी और उद्यमिता विकास केन्द्र (सीटीईडी), उत्तर प्रदेश |
| 56 | अनुसूचित जाति का जनसंख्या की जीविका सुधार के लिए प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग; बांस में सामाजिक व्यापार। स्कूमाचार सोसाइटी दिल्ली, दिल्ली-110070 |
| 57 | राजस्थान के कोटा जिला में ग्रामीण जनता के जीविका सृजन के लिए स्टेविआ रेडूडिना के कृषि और उपयोग के लिए प्रशिक्षण और प्रदर्शन/सोसाइटी फॉर एनवायरमेंट एण्ड डेवलेपमेंट (एसईडी) दिल्ली-110092 |
| 58 | तमिलनाडु के कुड्डालोर में एससी जनसंख्या के जीवन सुधार के लिए सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु समेकित प्रौद्योगिकीय अभिगम। श्री एएमएम मुरूगप्पा चेट्टीयार अनुसंधान केन्द्र, तारामणी, चैन्ने-600113,तमिलनाडू। |
| 59 | मध्य प्रदेश के छत्तरपुर जिला के इशानगर ब्लाक और टीकम जिला के निवारी ब्लाक में अनुसूचित जाति तालीम-एससी से संबंधित मिस्त्रियों/कारीगरों के जीविका सुधार के लिए पर्यावरण अनुकूल निर्माण प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग । |
| 60 | अनुसूचित जाति जनसंख्या के जीविका सुधार के लिए प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग के अंतर्गत सीतापुर जिला में उन्नत पशुधन फीडिंग के माध्यम से एससी (तालीम-एससी) जनसंख्या का सशक्तिकरण। मानव विकास एवं सेवा संस्थान, लखनऊ226005, उत्तर प्रदेश |
| 61 | संसाधन प्रबंधन, प्रौद्योगिकी अंतरण और सशक्तिकरण के माध्यम से मध्य भारत में शु-क क्षेत्र में अनुसूचित जाति समुदायों के विकास पर प्रोजेक्ट का समन्वय (सीपी)/मगन संग्रहालय समिति, वर्धा-442001 |
| 62 | असम के सोनितपुर जिला के अनूसूचित जाति के युवाओं में जीविका अवसरों के संवर्द्धन के लिए कृषि और पशुधन में कौशल स्तरोन्नयन और उद्यमिता विकास। समेकित संसाधन प्रबंधन संस्थान, जिला-सोनितपुर, असम। |
| 63 | मिनिकाय द्वीप, लक्षद्वीप में शु-क टूना (मास्मिन) का उत्पादन और उसका मूल्यवर्द्धन |

| | |
|---|---|
| | उत्पाद। मिनिकायॅ आइलैण्ड नावल्टी मास प्रोडुसर सोसाइटी लि. (मिनिमास), ''सनोरा'' कोची, लक्षद्वीप। |
| 64 | साहू पंचायत, चंबा जिला-हिमाचल प्रदेश, की एससी महिलाओं के लिए कौशल स्तरोन्नयन और आर्थिक सशक्तिकरण। महिला विकास मंच, मोहला खुराना, हिमाचल प्रदेश। |
| 65 | प्रौद्योगिकीय सहयोग के माध्यम से एस सी समुदाय का सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण। ग्रामीण विकास सोसाइटी` लिए सामाजिक कार्य (सारा), लक्षमीपुरा, राजस्थान। |
| 66 | भोपाल जिला के फाण्डा ब्लाक के देहरी कलां गांव में अतिरिक्त जीविका उपायों के रूप में एससी जनसंख्या के लिए हल्दी और अरारोट की कृ-ि के गैर रसायन पद्धति के प्रदर्शन और बाजार संबंध । मानव कल्याण और पर्यावरण फरदरेंस सोसाइटी (एसएच डब्ल्यू ईएफ), भोपाल 462042, मध्य प्रदेश। |
| 67 | संसाधन प्रबंधन, एस एण्ड टी अन्तक्षेपण और सशक्तिकरण के माध्यम से एस सी समुदाय का समेकित विकास। पर्यावरण और विकास सोसाइटी (एसईडी), दिल्ली। |
| 68 | राजस्थान के झुंझूनू जिला में अनुसूचित जाति के किसानों के लिए उन्नत पशुपालन सहित नवोन्मे-ी बागवानी पद्धतियां, संशोधित कृ-ि प्रौद्योगिकियों के विधीर्णन के लिए समेकित अन्तक्षेपण। |
| 69 | प्रौद्योगिकी सहयोग के माध्यम से येलांदुर तालुक, चामराज नगर जिला, कर्नाटक के आंबले (द्वितीय गांव में अनुसूचित जाति (एससी) समुदाय की जीविका और रहन-सहन संबंधी स्थितियों में सुधार। विवेकानंद ट्रस्ट, बोगादी, मैसूर। |
| 70 | पश्चिम बंगाल, ओडिशा और बिहार में संसाधन प्रबंधन, प्रौद्योगिकी अंतरण और सशक्तिकरण के माध्यम से अनुसूचित जाति (एस सी) समुदायों के जीविका और रहन-सहन में सुधार /विवेकानन्द ट्रस्ट, बोगादी, मैसूर। |
| 71 | असमी कुसीन 'जलपान' के प्रोत्साहन के लिए ब्रीडिंग परिप्रेक्ष्य और उपयोग खोज के साथ असम के स्वदेशी ब्रेकफास्ट चावल कृ-कों का मूल्य संवर्द्धन के रक्षोपाय/ सामाजिक-आर्थिक जागरूकता और पर्यावरण संरक्षण सोसाइटी (एसएसईएपीपी)। परमानंद भवन, नागांव-782001, असम |
| 72 | माइक्रो उद्यम और उन्नत कॉटन पिकिंग प्रौद्योगिकियों के माध्यम से महिला किसान और पुरू-ा किसान का सशक्तिकरण और क्षमता निर्माण। खादी एवं ग्रामोद्योग समिति, अंबाला। |
| 73 | सीलू ब्लॉक के अनुसूचित जाति समुदाय का संसाधन प्रबंधन, प्रौद्योगिकी अंतरण और सशक्तिकरण/मगन संग्रहालय समिति, कुमारप्पा मार्ग, वर्धा। |
| 74 | विशे-ाकर भूमिहीन परिवारों के लिए गरीबी उन्मूलन में रोजगार सृजन कार्यकलापों के रूप में युवाओं के लिए एक उपाय के रूप में बकरी पालन की शुरूआत करना। हिमालयी पर्यावरण अध्ययन एवं शुरूआत करना। (हिमालयी पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन) (एचईएससीओ), देहरादून-248001 |
| 75 | एस एण्ड टी आधारित सहयोग के माध्यम से निजामाबाद जिला में मनचिप्पा एस सी समुदाय के जीवन और रहन सहन का विकास/ ग्रेसी आर्गेनाजेशन फॉर डेवलेपमेंटल सर्विसेज आंध्र प्रदेश। |
| 76 | मंगलापुरम गांत, चल्लापली मण्डल-कृ-ण जिला, आन्ध्र प्रदेश के एस सी समुदाय में धारणीय जीविका के लिए एस एण्ड टी आधारित माइक्रो उद्यम और पीपल आर्गेनाइजेशन |

| | |
|---|---|
| | को प्रोत्साहन। प्रजा प्रगति सेवा संघम (पीपीएसएस) , आन्ध्र प्रदेश। |
| 77 | पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप के अभिज्ञात गांवों में कौशल संवर्द्धन और जीविका सहयोग के माध्यम से एस सी समुदाय का सामाजिक-आर्थिक स्तरोन्नयन। उन्नयन परि-द (पीयूपीए), कोलकाता-700032, पश्चिम बंगाल। |
| 78 | कचरा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए अनूसूचित जाति के समुदाय का समेकित सामाजिक-आर्थिक विकास। मिदनापुर सांस्कृतिक और कल्याण संघ, प्रगतिपल्ली, पश्चिम बंगाल। |
| 79 | दक्षिण भारत मित्र निकेतन, मित्र निकेतन , केरल में संसाधन प्रबंधन और प्रौद्योगिकी अंतरण और सशक्तिकरण के माध्यम से अनुसूचित जाति समुदाय का विकास पर द्वितीय चरण समन्वय कार्यक्रम। |
| 80 | बेलगाम जिला, कर्नाटक के काटेगेरी अनुसूचित जाति कलोनी, अथिनी में सामाजिक-आर्थिक उद्यम। विमोचना देवदासी पुनस्वस्ती संघ अथानी, कर्नाटक। |
| 81 | प्रौद्योगिकी सहयोग के माध्यम से कर्नाटक के चित्रदुर्ग के गांव आयातुला जी.आर. हल्ली पंचायत में अनुसूचित जाति समुदायों के जीविका और रहन-सहन स्तर में सुधार/शमाला विद्या वर्धक संघ, बेंगलौर- 560045 |
| 82 | अनुसूचित जाति समुदाय के लिए धारणीय ऊर्जा विकास। लूदर्न वर्ल्ड सेवा ट्रस्ट, पश्चिम बंगाल- 700014 |
| 83 | वैज्ञानिक सहयोग के साथ मौजूदा कौशल के वैधीकरण के माध्यम से सुंदरबन में पारम्परिक मछुआरों के जीविका प्रोत्साहन। इन्द्रनारायणपुर नजरूल स्मृति संघ (आईएनएसएस), परगना-743349 पश्चिमी बंगाल |
| 84 | संसाधनों और कौशल का धारणीय तथा समेकित उपयोग हेतु तकनीकी सहयोग के माध्यम से एससी समुदाय का सामाजिक-आर्थिक स्थिति का संवर्द्धन (एस एस डी/एससी एसपी/019/2010)-सीपी मध्य प्रदेश विज्ञान सभा, ज्ञान विज्ञान परिसर, भोपाल - 462021, मध्य प्रदेश। |
| 85 | खाद्य, सब्जी और म्युनिसिपल ठोस का एनोरेबिक डाइजेशन और बायोगैस का सृजन के लिए मॉडल का प्रायोगिक स्तर जांच। विवेकानंद जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, श्री रामाकृ-ण आश्रम, पश्चिम बंगाल। |
| 86 | वेल्लोर, तमिलनाडु में अनुसूचित जाति की जनसंख्या के जीविका संवर्द्धन के लिए जैव-कीटनाशक प्रौद्योगिकी सहयोग, नवोन्मे-ी अनुसंधान विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रति-ठान-होप, येलाहांका, बेंगलौर-560106 |
| **2015-2016** | |
| 87 | मुर्गी पालन के विकास और प्रोत्साहन के माध्यम से अनुसूचित जाति समुदाय के रोजगार अवसरों का संवर्द्धन। ग्रामीण कृ-ि विकास एवं पर्यावरण संवर्द्धन संस्थान 'दारीम' घंसाली, उत्तराखण्ड -2491551 |
| 88 | उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला में कृ-ि और प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी के स्तरोन्नयन के माध्यम से धारणीय जीविका विकल्प के रूप में सब्जी कृ-ि और प्रसंस्करण को प्रोत्साहन, संचित विकास संस्थान, उत्तर प्रदेश। |
| 89 | सोनितपुर जिला, असम के अनुसूचित जाति के युवाओं में जीविका संबंधी अवसरों के संवर्द्धन के लिए कृ-ि और पशुधन में कौशल स्तरोन्नयन और उद्यमिता विकास। समेकित |

| | |
|---|---|
| | संसाधन प्रबंधन संस्थान, बी.एस. रोड, रंगापुखरिआपुर, पी.ओ. डेकर गांव, जिला-सोनितपुर, असम |

| | |
|---|---|
| 90. | बाजरे के मूल्य वर्धन के माध्यम से अनुसूचित जाति के लोगों की आय का सृजन।हिमालय पर्यावरण जड़ी-बूटी कृषि संस्थान, उत्तराखण्ड |
| 91. | आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले में अनुसूचित जाति के कारीगरों/किसानों के बीच संधारणीय विकास और आय सृजन के लिए एकीकृत चारा और भण्डारण विकास (तालीम-एससी)। चैतन्य युवाजन संघम, अर्जावरी गुदेम, भीमाडोले-534425, आंध्र प्रदेश। |
| 92. | स्व/मजदूरी रोजगार के लिए एकीकृत प्रौद्योगिकी आधारित बृहत दक्षता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम। राष्ट्रीय शिक्षा उद्यमितावृति एवं विकास सोसाइटी, (नीड सोसाइटी), नीड उद्यमिता भवन, हरियाणा। |
| 93. | गाँव धुनकरा, ग्राम पंचायत नागझल, ब्लॉक पुरोला, उत्तरकाशी, उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति के लोगों के लिए संधारणीय आजीविका का विकास। उत्तरांचल जन विकास समिति (यूजेवीएस), देहरादून, उत्तराखण्ड। |
| 94. | संसाधन प्रबंधन, प्रौद्योगिकी अंतरण एवं सशक्तीकरण के माध्यम से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार में अनुसूचित जाति समुदायों का विक ास संबंधी समन्वय प्रोजेक्ट (सीपी)। विवेकानंद जैवप्रौद्योगिकी संस्थान, निम्पिथ-743338, पश्चिम बंगाल। |
| 95. | बकरीपालन एवं सुअरपालन प्रशिक्षण स्कूल और संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकियों (आरसीटीएस) के माध्यम से आजीविका विकास। श्रमभारती खादीग्राम, बिहार-811313 |
| 96. | अनुसूचित जाति समुदायों के लिए संधारणीय ऊर्जा विकास। लुथरन वर्ल्ड सर्विस इंडिया ट्रस्ट, पश्चिम बंगाल-700014 |
| 97. | अमेठी में बंजर भूमि पर कृषि-बागवानी-वनीकरण। ग्रामीण विकास हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (आईएसटीएआरडी), लखनऊ-226016, उत्तर प्रदेश। |
| 98. | क्षेत्रीय संसाधन एवं प्रशिक्षण केन्द्र (एआरटीसी) के माध्यम से उत्तरी बंगाल के अनुसूचित जाति समुदायों के लघु किसानों, मालियों और भूमिहीन श्रमिकों की क्षमता वृद्धि और समग्र विकास। अनुसंधान संचार विकास और सेवा केन्द्र (डीआरसीएससी), पश्चिम बंगाल। |
| 99. | उत्तराखण्ड के देहरादून जिले के साहापुर ब्लॉक के अनुसूचित जाति प्रभुत्व वाले गावों में उन्नत प्रौद्योगिकी पैकेज के माध्यम से घर के पीछे के आंगन में सब्जी की खेती का आरंभ। हिमालयी पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन (एचईएससीओ), ग्रामीण प्रौद्योगिकी सुपुर्दगी, देहरादून-248001 |
| 100. | प्राकृतिक संसाधनों के वैज्ञानिक प्रबंधन के माध्यम से ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में सुधार। एकीकृत ग्रामीण विकास और प्रबंधन (आईआरडीएम), रामकृष्ण मिशन विवेकानंद विश्वविद्यालय (आरकेएमवीयू),कोलकाता-700103 |
| 101. | उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बेतनोती ब्लॉक में हाशिए पर स्थित समुदाय की आजीविका के स्थायीकरण हेतु एक समन्वित दृष्टि। डेवलेपमेंट ऑफ ह्यूमेन एक्शन (डीएचएएन) फाउंडेशन, मदुरै-625016, तमिलनाडु। |
| 102. | पर्यावरण-अनुकूल फसल चक्र और पद्धतियों को अपनाकर पहाड़ी क्षेत्रों में गैर-मौसमी सब्जी उत्पादन के लिए संयुक्त कृषि प्रबंधन। श्री अरविंद सिंह, जनजाति महिला कल्याण एवं बालोत्थान समिति, उत्तराखण्ड। |
| 103. | ओडिशा के नयागढ़ जिले के कांतिलो ग्राम पंचायत के 3 गॉवों में अनुसूचित जाति समुदाय के लिए कांसे की ढलाई संबंधी अत्याधुनिक शिल्प प्रौद्योगिकीय के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी |

| | |
|---|---|
| | सहयोग प्रदान करने हेतु कौशल विकास कार्यक्रम। ग्रामीण विकास कार्य प्रकोष्ठ (आरडीएसी), ओडिशा। |
| 104. | क्षमता निर्माण तथा प्रौद्योगिकीय सशक्तीकरण के माध्यम से संधारणीय आजीविका। नयनतारा मेमोरिअल धर्मार्थ न्यास, कोलकाता-700020, पश्चिम बंगाल। |
| 105. | कौशल विकास और आजीविका सहयोग के माध्यम से सागर द्वीपसमूह, दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल के निर्धारित गॉवों में अनुसूचित जाति समुदाय का सामाजिक-आर्थिक उत्थान। परिवेश उन्नयन परिषद (पीयूपीए), कोलकाता-700032, पश्चिम बंगाल। |
| 106. | आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले-चल्लापल्ली मंडल, मंगलापुरम गॉव के अनुसूचित जाति समुदाय में संधारणीय आजीविका के लिए लोगों के संगठन और एस एण्ड टी आधारित सूक्ष्म उद्यमों का संवर्धन। प्रजा प्रगति सेवा संघम (पीपीएसएस), आंध्र प्रदेश। |
| 107. | प्रौद्योगिकी सहयोग के माध्यम से कर्नाटक के चामराज नागरा जिले के येलनदुर ताल्लुक के एम्बले (द्वितीय) गॉव में अनुसूचित जाति (एस सी) समुदायों की आजीविका और निर्वाह स्थितियों में सुधार करना। विवेकानंद ट्रस्ट, बोगाडी, मैसूर-570026, कर्नाटक। |
| 108. | तमिलनाडु के वेल्लौर में अनुसूचित जाति के लोगो की आजीविका सुधार के लिए जैव-कीटनाशी प्रौद्योगिकी सहयोग। होप-नवोन्मेषी अनुसंधान विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रतिष्ठान (होप-फर्स्ट), येलाहांका, बेंगलौर-560106 |
| 109. | बुंदेलखण्ड के चुनिंदा जिलों में अनुसूचित जाति समुदाय के बीच कृषि-बागवानी आधारित आजीविका का संवर्धन। सोसाइटी फॉर डेवलेपमेंट आल्टरनेटिव्स, उत्तर प्रदेश। |
| 110. | पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में अनुसूचित जाति समुदाय के विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग। शमयिता मठ, रणबहल, अमरकानन, पश्चिम बंगाल। |
| 111. | एस एण्ड टी आधारित सहयोगों के माध्यम से निज़ामाबाद जिले में मनचिप्पा अनुसूचित जाति समुदाय का जीवन और आजीविका विकास। ग्रेसी विकासात्मक सेवा संगठन (जीओडीएस), निज़ामाबाद-503230, आंध्र प्रदेश। |
| 112. | आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में ब्रांड बुदीथि मेटल क्राफ्ट्स (बीबीएमसी) का पुनः प्रवर्तन करना और बनाए रखना। लाया संसाधन केन्द्र, विशाखापट्टनम-530045 |
| 113. | वैज्ञानिक सहयोग से मौजूदा कौशलों के वैधीकरण के माध्यम से सुंदरवन में पारंपरिक मछुआरों का आजीविका संवर्धन। इंद्रनारायणपुर नज़रूल स्मृति संघ (आईएनएसएस), गॉव-इंद्रनारायणपुर, पश्चिम बंगाल। |
| 114. | मध्यप्रदेश के मोरेना जिले के मोरेना ब्लॉक के अनुसूचित जाति के लोगों (तालीम-एससी) की आजीविका में सुधार करने के लिए प्रौद्योगिकीय अनुप्रयोग। मध्य प्रदेश विज्ञान सभा, ज्ञान विज्ञान परिसर, मध्य प्रदेश। |
| 115. | विशिष्ट विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोगों के माध्यम से पारंपरिक धातु शिल्प कारीगरों का विकास और पारंपरिक कौशल का स्तरोन्नयन। रूरल एजुकेशन एण्ड एक्शन फॉर चेंज (रीच), तिरूपति-517502, आंध्र प्रदेश। |
| 116. | कमजोर समुदाय के मुकाबले आजीविका हेतु संसाधनों का इष्टमीकरण। संयुक्त कार्य परिषद (यूएसी), भुवनेश्वर-751003, ओडिशा। |
| 117. | 5 से 6 नवम्बर, 2015 के दौरान वाईएमसीए, नई दिल्ली में आयोजित एससीएसपी स्कीम के अंतर्गत वित्तपोषित प्रोजेक्टों की प्रगति की समीक्षा के लिए समूह निगरानी कार्यशाला (जीएमडब्ल्यू)। पर्यावरण एवं विकास सोसाइटी (एसईडी), नगर, दिल्ली-110092 |
| 118. | प्राकृतिक अपशिष्ट संसाधनों का उपयोग करने हुए अनुसूचित जाति के लोगों का एकीकृत |

| | |
|---|---|
| | सामाजिक-आर्थिक विकास। मिदनापुर सांस्कृतिक एवं कल्याण एसोसिएशन, प्रगतिपल्ली, बल्लवपुर, पश्चिम बंगाल। |

**टीएसपी** – 2013–2014

| | |
|---|---|
| 119. | सेंचल वन्यजीव अभ्यारण्य के संरक्षण के लिए एकीकृत सामुदायिक विकास। दार्जिलिंग अर्थ ग्रुप, मार्फत दार्जिलिंग ज़िमखाना क्लब कॉम्प्लैक्स, दार्जिलिंग। |
| 120. | अरूणाचल प्रदेश के थेमबांग गॉव में समुदाय आधारित संरक्षण पहल को सुदृढ़ करने के लिए उपयुक्त वैज्ञानिक सहयोग के साथ स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों और कौशल का संवर्धन। थेमबांग बापू सामुदायिक संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन समिति। |
| 121. | असम के सोनितपुर जिले में सुअर पालन के संधारणीय प्रबंधन के लिए फीड पैकेज विकसित करने के लिए उपलब्ध संसाधन संबंधी प्रौद्योगिकी सहयोग और आदिवासी किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना। एकीकृत संसाधन प्रबंधन संस्थान, असम-784501 |
| 122. | सेलास्ट्रस पानीकुलेटस बीजों के संग्रहण के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास और प्रदर्शन तथा आदिवासी महिलाओं को अपनी आजीविका सुरक्षा में सुधार करने के लिए मूल्य वर्धित उत्पादों का निर्माण कर उद्यमी बनने के लिए प्रशिक्षित करना। लाया, विशाखापट्टनम-530017, आंध्र प्रदेश। |
| 123. | उपयुक्त प्रौद्योगिकीय सहयोगों के माध्यम से रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क के आस पास एकीकृत संरक्षण और आजीविका। प्रकृति के लिए विश्वव्यापी निधि-भारत, नई दिल्ली। |
| 124. | दल्लमा अभ्यारण्य के आस-पास संधारणीय आजीविका के लिए कृषि वानिकी तथा अन्य आय सृजन क्रियाकलापों को अपनाना। श्रमजीवी उन्नयन, होल्डिंग जमशेदपुर। |
| 125. | सामाजिक-आर्थिक उद्यमितावृत्ति के माध्यम से आदिवासी संसाधनों का व्यापक उपयोग (कटरोज)। शिक्षा और स्वैच्छिक कार्य समिति (सेवा), तमिलनाडु। |
| 126. | कन्याकुमारी जिले (तमिलनाडु) के पेचीपराई पंचायत में कनिकरन आदिवासी लोगों के लिए एसएण्डटी सहयोग से एकीकृत सामाजिक-आर्थिक विकास। समाज विकास केन्द्र, कन्याकुमारी जिला, तमिलनाडु। |
| 127. | महिलाओं और युवाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए जौनसर भाभर के आदिवासी क्षेत्र में अनुपूरकीय आय के लिए स्थानीय कृषि उत्पाद का मूल्य वर्धन (उत्तराखण्ड)। पर्यावरण और विकास सोसाइटी, देहरादून-248001, उत्तराखण्ड। |
| 128. | आदिवासी समुदाय द्वारा गैर-इमारती वन्य उत्पाद (एनटीएफपी) के संधारणीय प्रबंधन के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के साथ सशक्तीकरण और क्षमता निर्माण। मान्यसीमा स्वयंसेवी संगठन, रोलुगुंटा विशाखापट्टनम जिला, आंध्र प्रदेश-531114 |
| 129. | उत्तराखण्ड के अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य के आस-पास नवोन्मेषी प्रौद्योगिकीय सहयोगों के माध्यम से वनों पर निर्भर पर्वतीय समुदायों की आजीविका का सुदृढ़ीकरण हिम प्रकृति, उत्तराखण्ड-262554 |
| 130. | बृहत समस्याओं के लिए सूक्ष्म समाधान: कर्नाटक के दांडेली अंशी टाइगर रिजर्व (डीएटीआर) में आजीविका सुरक्षा में सुधार करने के लिए सूक्ष्म उद्यमों और संस्थाओं को विकसित करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी का उपयोग। साह्यद्री वन्यजीव और वन संरक्षण न्यास (स्विफ्ट), नीलकुंड-हेग्गरनी, सिरसी (उत्तर कन्नड), कर्नाटक-581331 |
| 131. | बेतुल जिले के आदिवासी क्षेत्रों में बागबानी और पशुपालन के साथ एक्वाकल्चर का एकीकरण। पर्यावरणीय संरक्षण सोसाइटी, ई-4/177, अरेरा कालोनी, भोपाल |
| 132. | अरूणाचल प्रदेश के लोअर सुबानसिरी जिले में जीरो के उत्पादक, किसानों के लिए इलायची से बेहतर आर्थिक रिटर्न के लिए तात्कालिक शुष्कन, भण्डारण प्रौद्योगिकी के माध्यम से बड़ी इलायची के पारंपरिक (भट्टी) शुष्कन सह भण्डारण प्रणाली का सुधार। टेक बोगो बहुउद्देशीय सहकारी |

| | |
|---|---|
| | समिति लि., अरूणाचल प्रदेश। |
| 133. | मलेरिया की रोकथाम के लिए पारंपरिक भारतीय वनस्पति आधारित उपचार: समुदाय आधारित दृष्टिकोण। स्थानीय स्वास्थ्य परंपराओं का पुनरूद्धार प्रतिष्ठान, कर्नाटक। |
| 134. | पत्ती मोल्डिंग मशीन के लिए बायोमास आधारित स्टोव का विकास। एप्रोप्रिएट रूरल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट (एआरटीआई), पुणे-411041, महाराष्ट्र। |
| 135. | लोग और संरक्षित क्षेत्र: स्थानीय समुदायों के साथ साझेदारी में संरक्षण और संधारणीय आजीविका-द्वित्तीय चरण। प्रकृति विश्व व्यापी निधि-भारत, नई दिल्ली। |
| 136. | भीमाशंकर वन्यजीव अभ्यारण्य में दबाव कम करने और आजीविका प्रदान करने के लिए समुदाय आधारित पर्यटन को प्रोत्साहित करना। अनुप्रयुक्त पर्यावरणीय अनुसंधान प्रतिष्ठान, पुणे-411029 |
| 137. | उत्तराखण्ड राज्य के उत्तरकाशी जिले की तिब्बत सीमा में रहने वाली भोटिया जनजाति के बीच आय सृजन हेतु पिक्रोरिज़ा कुर्रोरा (कुटकी) एवं सोस्सुरिआ कोसटस (कुथ) के उच्च उन्नतांश चिकित्सीय पौधे की कृषि। संकल्प सामाजिक संस्था, गेवला (बाराशली), उत्तरकाशी। |
| 138. | बिहार के वाल्मिकी वन्यजीव अभ्यारण्य के आस-पास उपयुक्त प्रौद्योगिकीय सहयोगों का उपयोग कर हाशिए पर स्थित समुदायों का समेकित संरक्षण और संधारणीय आजीविका। गोरखपुर पर्यावरणीय कार्य समूह, यूपी। |
| 139. | खरपतवार और अपशिष्ट से संपदा; लानताना लानताना कामरा के आस पास आजीविका औ्र मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, तमिलनाडु के आस-पास हाथी के गोबर का सृजन। द शोला ट्रस्ट, द शोलास, 27वां माइल, ऊटी रोड, गुदालुर, जिला: द नीलगिरीस, तमिलनाडु, पिन-643211 |
| 140. | हिमाचल प्रदेश के नारगु वन्यजीव अभ्यारण्य के आस-पास संधारणीय संसाधन उपयोग पद्धतियों और प्रौद्योगिकी सहयोग के माध्यम से वनों पर निर्भरता कम करना। ग्रामीण विकास और कार्य समिति (एसआरडीए), गॉव व डाकघर थालटुखोर, तहसील पद्दार, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश-176122 |
| 141. | सामूहिक संपदा संसाधनों के इष्टतम उपयोग पर वैज्ञानिक प्रवृत्ति मन में बैठाना और आंध्र प्रदेश के पापीकोंडा राष्ट्रीय पार्क में रहने वाले आदिवासियों की आजीविका में सुधार करना। लाया, लाया संसाधन केन्द्र, प्लाट नं. 110, येनदादा, सिनोरा बीच रिसोर्ट के पास, विशाखापट्टनम-530045, आंध्र प्रदेश। |
| 142. | आदिवासी समुदाय में उपयुक्त प्रौद्योगिकी का प्रसार तथा हल्दी के पूर्व-संग्रहण प्रसंस्करण के लिए अवसंरचना की स्थापना। मान्यसीमा स्वयंसेवी संगठन, विशाखापट्टनम जिला, आंध्र प्रदेश। |

2014–2015

| | |
|---|---|
| 143. | हिमाचल प्रदेश के नरगु वन्यजीव अभ्यारण्य के आस-पास संधारणीय संसाधन उपयोग पद्धतियों और प्रौद्योगिकी सहयोग के माध्यम से वनों पर निर्भरता कम करना। ग्रामीण विकास और कार्य समिति (एसआरडीए), गॉव व डाकघर थालटुखोर, हिमाचल प्रदेश। |
| 144. | लोग और संरक्षित क्षेत्र: स्थानीय समुदायों के साथ साझेदारी में संरक्षण और संधारणीय आजीविका-द्वित्तीय चरण। प्रकृति विश्व व्यापी निधि-भारत, नई दिल्ली। |
| 145. | आदिवासी महिलाओं की भागीदारी से कृषि में आत्मनिर्भरता उत्पन्न करने के लिए पारंपरिक बीजों के जैवविविधता का प्रचार, प्रसार एवं संरक्षण शुरू करना। दिलासा संस्था, महाराष्ट्र। |
| 146. | सीतामाता अभ्यारण्य के आस-पास स्थानीय समुदायों के लिए आय सृजन क्रियाकलापों को प्रोत्साहन और इसे संरक्षण से संबद्ध करना। प्रयास, चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) 312025 |
| 147. | ऐलोवेरा संवर्धन के माध्यम से कांगपोकपी टी.डी. ब्लॉक के अंतर्गत निर्धन आदिवासी परिवारों के लिए संसाधन का सामाजिक-आर्थिक विकास। पर्वतीय क्षेत्र सामाजिक-आर्थिक विकास संघ, मणिपुर-795129 |

| | |
|---|---|
| 148. | मणिपुर के बिशनपुर जिले में प्रशिक्षण और प्रदर्शन के माध्यम से संधारणीय ग्रामीण आजीविका सुरक्षा के लिए एकीकृत जलीय जीव संवर्धन प्रणाली। ऊटलोऊ संयुक्त कृषि-सह-मत्स्यपालन सहकारी समिति लि. नामबोल, मणिपुर-795134 |
| 149. | मशरूम के उत्पादन और विपणन के माध्यम से अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आय सृजन कार्यक्रम आयोजित करना। गांधीग्राम समाज कल्याण और अध्ययन केन्द्र, चंतामुक्कु, वितुरा, डाकघर तिरूवनंतपुरम-695551, केरल। |
| 150. | चुनिंदा औषधीय पौधों की बेकयार्ड कृषि एवं प्रसंस्करण के माध्यम से एनटीएफपी पर निर्भर जनजातियों के लिए अनुपूरक आजीविका क्रियाकलापों हेतु सहयोग। श्री ए एम एम मुरूगप्पा चेट्टियार अनुसंधान केन्द्र, तारामणि, चेन्नई-600113 |
| 151. | बिहार के वाल्मिकी वन्यजीव अभ्यारण्य के आस-पास उपयुक्त प्रौद्योगिकीय सहयोगों का उपयोग कर हाशिए पर स्थित समुदायों का समेकित संरक्षण और संधारणीय आजीविका। गोरखपुर पर्यावरणीय कार्य समूह, 224, पुर्दिलपुर (यू.पी.) |
| 152. | सामूहिक संपदा संसाधनों का इष्टतम उपयोग पर वैज्ञानिक प्रवृत्ति मन में बैठाना और आंध्र प्रदेश के पापीकोंडा राष्ट्रीय पार्क में रहने वाले आदिवासियों की आजीविका में सुधार करना। लाया, आंध्र प्रदेश। |
| 153. | रोग प्रतिरोधक क्षमता वृद्धि और बाजार संपर्क सुनिश्चित करने हेतु मधुमक्खीपालन और हर्बल बागवानी का प्रयोग करते हुए आय सृजन कार्यक्रम के माध्यम से कसारगोडु जिले में हाशिए पर स्थित प्राचीन आदिवासी लोगों का संधारणीय विकास। मालाबार समाज सेवा समिति (एमएएसएसएस), श्रीपुरम, पल्लीकुन्नु डाकघर, कन्नूर-670004, केरल। |
| 154. | आदिवासी समुदाय में उपयुक्त प्रौद्योगिकी का प्रसार तथा हल्दी के पूर्व-संग्रहण प्रसंस्करण के लिए अवसंरचना की स्थापना। मान्यसीमा स्वयंसेवी संगठन,आंध्र प्रदेश-531 114 |

| | |
|---|---|
| 155. | हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क, झारखण्ड के आस-पास रहने वाले समुदायों के लिए आजीविका सुरक्षा में वृद्धि करने हेतु उपयुक्त प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित करना। जन सेवा परिषद झारखण्ड। |
| 156. | केरल के परंबिकुलम टाइगर रिजर्व के आस-पास जातीय समुदायों के लिए संधारणीय आजीविका कार्यक्रम। नदी अनुसंधान केन्द्र, केरल-680 306 |
| 157. | बस्तर, छत्तीसगढ़ में ग्रामीण समुदाय की आर्थिक स्थिति में वृद्धि करने के लिए गैर-इमारती वन्य उत्पादों का मूल्य वर्धन। विकास मित्र, जिला कोंडागॉव, छत्तीसगढ़। |
| 158. | उत्तरकाशी जिले के हारसिल, पुराली, बागोरी गॉव में आदिवासी समुदायों के लिए अंगोरा ऊन क्षेत्र का विकास। जनजाति महिला कल्याण एवं बालोत्थान समिति, सरूखात, बारको-249191, उत्तरकाशी। |
| 159. | लोग और संरक्षित क्षेत्र: स्थानीय समुदायों के साथ साझेदारी में संरक्षण और संधारणीय आजीविका। प्रकृति विश्व निधि-भारत, लोदी एस्टेट, नई दिल्ली। |
| 160. | किसानों की भिन्नता का संकलन, संरक्षण, लक्षण-वर्णन और पंजीकरण तथा पीपीवीएफआरए के कानून पर किसानों का क्षमता निर्माण। एम.एस. स्वामीनाथन अनुसंधान प्रतिष्ठान, तृतीय क्रॉस रोड, चेन्नई-600113 |
| 161. | आंध्र प्रदेश के कवल वन्यजीव अभ्यारण्य में आदिवासियों की आजीविका वृद्धि के लिए तकनीकी सहयोगों का उपयोग कर भूमि और जल संसाधनों के प्रभावी उपयोग को प्रोत्साहित करना। |
| 162. | खरपतवार और अपशिष्ट से संपदा; लानताना लानताना कामरा के आस-पास आजीविका औ्र मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, द शोला ट्रस्ट, गुदालुर । |

| | |
|---|---|
| 163. | कन्याकुमारी जिले (तमिलनाडु) के पेचीपराई पंचायत में कनिकरन आदिवासी लोगों के लिए एसएण्डटी सहयोग से एकीकृत सामाजिक-आर्थिक विकास। समाज विकास केन्द्र, कुलाला स्ट्रीट, तिरूनैनारकुरीचि, अम्मानदिविलाई-629 204 |
| 164. | पश्चिमी सिक्किम के बारसे रोडोडेंड्रोन अभ्यारण्य के सीमांत गॉव के लिए भागीदार प्रौद्योगिकी विकास के माध्यम से ग्रामीण आजीविका सुरक्षित करना। खांगचेन्दज़ोंगा संरक्षण समिति, डाकघर युकसाम, पश्चिमी सिक्किम। |
| 165. | नाइपा फ्रुटीकन्स, पंडानुस लेरम के आजीविका संसाधनों का नवीनीकरण और दक्षिणी निकोबार द्वीपसमूहों में प्रौद्योगिकीय सहयोग मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट, सरीसृप विज्ञान केन्द्र, पोस्ट बैग 4, मामाल्लापुरम, तमिलनाडु। |
| 166. | ग्रामीण आदिवासी आजीविका के लिए प्रौद्योगिकी अंतरण एवं नवोन्मेष कार्यक्रम-ग्रामीण जीवन-परिवर्तनीय संभावनाओं में एक लघु वैज्ञानिक सहयोग। एकीकृत संसाधन प्रबंधन संस्थान, रंगपुखुरीपुर, डाकघर-डेकारगॉव, असम-784501 |
| 167. | आदिवासी क्षेत्र में बकरी पालन के लिए वैज्ञानिक पद्धतियाँ अपनाकर थारू जनजातीय परिवारों की संधारणीय आजीविका। अवोध ग्रामोद्योग संस्थान, फैजाबाद-224001 (यू.पी.)। |
| 168. | उत्तराखण्ड के उत्तरकाशी जिले के भटवारी ब्लॉक के अंतर्गत अनुसूचित जनजातीय समूहों को सशक्त बनाने के लिए भेड पालन और संबंधित क्रियाकलापों के माध्यम से आय सृजन कार्यक्रम। वरन जड़ी-बूटी कृषि संस्थान, जद्दी, जिला-उत्तरकाशी। |
| 169. | मारेगॉव के आदिवासी क्षेत्र में पलायन और कुपोषण को दूर करने के लिए नवोन्मेषी एसएण्डटी सहयोगों के माध्यम से खाद्य सुरक्षा सुनिशिचित करना। ग्रामीण समस्या मुक्ति न्यास, 16, साधनकरवाडी, वाणी, जिला यावतमल, पिन-445304 |

| | |
|---|---|
| 170. | अमरावती जिला में कुपोषण एवं पलायन रोकने के लिए उन्नत कृषि एवं स्थायी वन उपज को प्रोत्साहित करना। अपेक्षा होमियो सोसायटी, गुरूकुंज मोजारी, तहसील-तिओसा, जिला अमरावती, महाराष्ट्र पिन -444902 |
| 171. | अमरावती जिले के तीन गांवों में कुपोषण एवं पलायन को कम करने के लिए पशु उत्पादकता एवं कृषि को उन्नत करना। ड्रीम बहुउद्देशीय संस्था, अमरावती, महाराष्ट्र |
| 172. | जनजातीय क्षेत्रों में स्थानीय मानव संसाधन के क्षमता निर्माण द्वारा नए उद्यम अवसरों की खोज करना तथा तकनीकी प्रसार के माध्यम से महिलाओं की जीविका एवं पोषण को सुधारना।चैतन्य,जिला, पुणे-410505,महाराष्ट्र |
| 173. | अम्बा घाटी के जनजातीय लोगों के पलायन एवं कुपोषण को कम करने के लिए वैकल्पिक जीविका हेतु नवोन्मेषी तकनीकी की खोज करना। उपयुक्त ग्रामीण प्रौद्योगिकी संस्थान, पुणे- 411041 |
| 174. | ग्रामीण क्षेत्र खेड़ प्रखंड में पलायन एवं कुपोषण की समस्याओं का सामना करने के लिए उपयुक्त नवोन्मेषी प्रौद्योगिकी के माध्यम से जीविका सुरक्षा को बढ़ाना । चिकित्सीय पादप संरक्षण केद्रं एवं न्यास, पुणे -411037 |
| 175. | नंदुरबार जिले के तीन गांवों में कुपोषण एवं पलायन को कम करने के लिए कृषि उत्पादकता में सुधार करना। गायत्री फाउंडेशन, महाराष्ट्र |
| 176. | हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में वृक्षारोपण के लिए जंगली खुबानी (प्रुनस अर्मेनियका) |

| | |
|---|---|
| | के श्रेष्ठ क्लोन के चयन के लिए मूल्यांकन । हिमालय अनुसंधान समूह, शिमला। |
| 177. | नवोन्मेषी कार्यक्रम एवं उपयुक्त प्रौद्योगिकी के माध्यम से महाराष्ट्र के जनजातीय लोगों के कुपोषण एवं पलायन का सामना करना: उपयुक्त ग्रामीण प्रौद्योगिकी संस्थान, पुणे-411041 |
| 178. | नंदुरबार में प्राकृतिक संसाधन योजना, सतत् उपज एवं जीविका सृजन के माध्यम से कुपोषण एवं पलायन को कम करना। एकलव्य ग्रामीण आदिवासी विकास मंडल, महाराष्ट्र। |
| 179. | सतारा जिले के भूमिहीन जनजाति समुदाय के लिए स्थायी जीविका कार्यक्रम। श्रमिक जनता विकास संस्था, ए/पी: मेधा, जिला सतारा-415012 |
| 180. | पूर्वी इंफाल जिला, मणिपूर में ग्रामीण कृषक महिलाओं को आर्थिक उन्नति के लिए प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन द्वारा पुष्पकृषि को लोकप्रिय बनाना। मानव विकास संस्थान, पोरोम्पत, पूर्वी इम्फाल ,मणिपुर-795010 |
| 181. | उत्तरकाशी जिला के सूखी, झाला एवं जशपुर गांवों के जनजातीय समुदायों के लिए अंगोरा ऊन क्षेत्र का विकास। ग्रामीण विकास तकनीकी संस्थान, उत्तरकाशी उत्तराखंड |
| 182. | चमोली जिले के ग्वालडम, तलवारी तथा थराली ग्राम में आदिवासी समुदायों के लिए अंगोरा ऊन सेक्टर का विकास। उत्तरांचल युवा एवं ग्रामीण विकास केन्द्र, नारायण बाजार, चमोली (उत्तराखंड)-246455 |
| 183. | मध्य प्रदेश के शिवपुर एवं डिंडौरी जिलों में बाजार का विकास एवं सतत् पैदावार ,एनटीएफपी संसाधन संवर्द्धन: आय सृजन गतिविधियों के लिए एनटीएफपी आधारित महिला एसएचजी को प्रोत्साहन। संसाधन योजना विकास तथा अनुसंधान ,भोपाल-462016 मध्य प्रदेश |
| 184. | उत्तरकाशी जिले के नाकुरी, बीरपुर, डुंडा तथा लुडांका गांव में आदिवासी समुदायों के लिए अंगोरा ऊन सेक्टर का विकास। महिला उत्थान एवं ग्राम विकास संस्थान, गैनवाल, ब्रह्मखाल, प्रखंड-डुंगा, उत्तरकाशी, उत्तराखंड |
| 185. | देहरादून जिले के थाना, तुंग्रा एवं रिखड गांव में आदिवासी समुदायों के लिए अंगोरा ऊन सेक्टर का विकास। विकास सहायता संस्थान, उत्तरांखड |
| 186. | टेहरी गढ़वाल जिले के भरोरा एवं मेथीया गांव में आदिवासी समुदायों के लिए अंगोरा ऊन सेक्टर का विकास। हिमालय पर्यावरण, पारितंत्र, विकास संस्थान, टेहरी गढ़वाल, उत्तराखंड |
| 187. | उत्तरकाशी जिले के सालंग ग्वाना, मनेरी, अथाली गांव में आदिवासी समुदायों के लिए अंगोरा ऊन सेक्टर का विकास। हिमालय शिक्षा एवं संसाधन विकास संस्थान, ब्लॉक रोड, चम्बा, टेहरी गढ़वाल। |
| 188. | देहरादून जिले के मोहाना, सुजायु एवं सवारा गांव में आदिवासी समुदायों के लिए अंगोरा ऊन सेक्टर का विकास। गढ़वाल विकास केन्द्र, गढ़वाल-249186 |
| 189. | उत्तरकाशी जिले के तांडी, खमाद, कुमारकोट (जालांग) गांव में आदिवासी समुदायों के लिए अंगोरा उन सेक्टर का विकास। श्री देव सुमन पर्यावरण अनुसंधान संस्थान, ग्राम-हल्दीयाना, पी.ओ नूइसार, डुंडा, उत्तरकाशी, उत्तराखंड |
| 190. | चमोली जिले के खेनूरी,गाडोरा तथा अगथाला गांवों में आदिवासी समुदायों के लिए अंगोरा उन सेक्टर का विकास। जयनंदा कल्याण समिति, उत्तराखंड 246424 |
| 191. | सुन्दरबन में एस एंड टी के प्रयोग से अच्छे उत्पादकता के लिए रॉक मधुमक्खी |

| | |
|---|---|
| | संग्रहणकत्ताओं को संगठित करने के लिए प्रयास। श्री रामकृष्ण आश्रम, विवेकानंद जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, पश्चिम बंगाल। |
| 192. | मध्य भारत के आदिवासी क्षेत्रों में विविध सतत् जीविका अवसरों के लिए वन संसाधन केन्द्रित हस्तक्षेप। बी.ए.आई एफ विकास अनुसंधान संस्थान, वर्जी पुणे-411058, महाराष्ट्र। |
| 193. | पिथौरागढ़ जिले के माला धीरपट्टा, ताला धीरपट्टा तथा सिरमोली में आदिवासी समुदायों के लिए अंगोरा ऊन सेक्टर का विकास।ग्रामीण योजना तथा कार्य संस्थान (अर्पण), जाखी, पोस्ट-बीन, जिला-पिथौरागढ़, उत्तराखंड |
| 194. | पिथौरागढ जिले के बालाकोट ,देवलाल,गांव तथा सुर्सिन गांव में आदिवासी समुदायों के लिए अंगोरा ऊन सेक्टर का विकास।स्वाती ग्रामोद्योग संस्थान, उत्तराखंड |
| 195. | चमौली जिला के लता, रियानी एवं पग्रासु गांव के आदिवासी समुदायों के लिए अंगोरा ऊन सेक्टर का विकास।सदन शिक्षा समिति, उत्तराखंड |
| 196. | पत्ता मोड़ने वाली मशीन के लिए जैव ईंधन आधारित स्टोव का विकास। उपयुक्त ग्रामीण प्रौद्योगिक संस्थान (आरती),मानीनी अपार्टमैन्ट, एस नं.-13 धायारी गांव, पुणे। |

2015–16

| | |
|---|---|
| 197. | उत्तराखंड के पांच जिलों के आदिवासी क्षेत्रों में रोजगार सृजन अवसरों तथा आय वृद्धि के लिए अंगोरा उन सेक्टर के विकास के लिए समन्वय कार्यक्रम, हिमालय पर्यावरण, पारितंत्र एवं विकास संस्थान, गढ़वाल, उत्तराखंड |
| 198. | नार्गु वन्यजीव अभ्यारण्य, हिमाचल प्रदेश के चारों ओर सतत् संसाधन प्रयोगों तथा प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप से वनों पर निर्भरता को कम करना। ग्रामीण विकास एवं कार्य संस्थान (एसआरडीए), हिमाचल प्रदेश 176122 |
| 199. | सतत् रेशम कीट पालन तथा एकीकृत संबंद्ध कृषि प्रणाली परंपराओं के माध्यम से आजीविका सुधार से आदिवासी महिलाओं का सशक्तिकरण। बी.ए.आईएफ, कर्नाटक |
| 200. | वन्य (आकृषित) तथा हरी सब्जियों के भंडारण एवं सुखाने के लिए वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग तथा कुपोषण तथा पलायन रोकने के लिए एनटीएफपी आधारित उद्यम की स्थापना। नवउम्मिद सामाजिक संगठन, येवतमाल-445302 |
| 201. | उपयुक्त प्रौद्योगिकी को अपनाकर अप्रयुक्त प्रकृति संसाधनों से आय सृजन द्वारा आदिवासी महिलाओं का सशक्तिकरण। सामाजिक एवं मानवीय कार्य संघ (आशा), चिनतुरू-507126 जिला खम्मम, आंध्र प्रदेश। |
| 202. | उत्तराखंड क बागेश्वर जिले के अनु.जाति/अनु.जनजाति समुदाय में पोषक खाद्य सुरक्षा के लिए तिलहन एवं मोटे अनाजों को प्रोत्साहन। हिमाचल पर्यावरण सुरक्षा संगठन (होप), पोस्ट पिलखोली, जिला-अल्मोडा, उत्तराखंड |
| 203. | इडुक्की जिले में सतत् खेती के लिए स्वदेशी आनुवांशिक संसाधनों से दबाव वहन करने वाली काली मिर्च की किस्म के लोकप्रियकरण के माध्यम से आदिवासी लोगों के जीवन स्तर को उन्नत करना। पीरमेड विकास संस्थान, इडुक्की जिला-केरल। |
| 204. | बाजार से जोड़ने को सुनिश्चित करने के लिए संवर्द्धित रोग रोधी क्षमता वाले मधुमक्खी पालन एवं जड़ी-बूटी बागवानी जैसे आय सृजन कार्यक्रम के प्रयोग द्वारा कासारगोडू जिला |

| | |
|---|---|
| | में आदिम जनजाति लोगों का सतत् विकास। मालाबार सामाजिक सेवा समिति, ऐलीकुनू, पी.ओ. कन्नूर-670004, केरल। |
| 205. | आदिवीस महिलाओं द्वारा आय सृजन हेतु पोषक खाद्य उत्पादों ,जैव किटनाशकों तथा ऊर्जा वाली दवाओं के उत्पादन के लिए आम के औद्योगिक कचरा का प्रयोग। श्री ए.एमएम मुरूगप्पा चेट्टियार अनुसंधान केन्द्र, तारामनी, चैन्ने । |
| 206. | कुकुरमुत्तों के उत्पादन एवं वाणिज्यीकरण के माध्यम से अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए आय सृजन कार्यक्रम आयोजित करना। गांधीग्राम सामाजिक कल्याण एवं अध्ययन केन्द्र, चंतामुक्कू, वितुरा पी.ओ. तिरूवनंतपुरम-69555। |
| 207. | बेहतर उत्पादकता के लिए एस एंड टी के हस्तक्षेप द्वारा सुन्दरवन में रॉक मधुमक्खी संग्राहकों को संगठित करने के लिए एक प्रयास । श्री रामकृष्ण आश्रम, विवेकानंद जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, पी.ओ नीम पीठ आश्रम, पिन-743338, दक्षिण 24 परगना (सुंदरवन), पश्चिम बंगाल। |
| 208. | उत्तराखंड के जौनसर भभर के आदिवासी क्षेत्र के महिलाओं और युवाओं को ध्यान में रखते हुए अनुपूरक आय के लिए स्थानीय कृषि उत्पादन हेतु मूल्य संवर्द्धन। पर्यावरण एवं विकास संस्थान, 30/1धर्मपुर, देहरादून-248001, उत्तराखंड |
| 209. | आदिवासी क्षेत्र में बकरी पालन के लिए वैज्ञानिक पद्धति अपनाकर थारू आदिवासी परिवारों के लिए सतत् जीविका। अवध ग्रामोद्योग संस्थान, फैजाबाद 224001 (यू0पी0) |
| 210. | उत्तराखंड क देहरादून जिले के कलशी एवं चक्राता प्रखड़ों के वर्षा पोषित एवं सिंचित चयनित 10 गांवों में निम्न मात्रा तथा उच्च मुल्य वाले फसल दालों एवं मशालों में उन्नत कृषि पैकेज के माध्यम से पर्यावरणीय रूप से कमजोर पर्वतीय जनजातिय क्षेत्रों में जीविका के अवसरों को संवर्द्धित करन। एचआईएफईईडी, देहरादून, उत्तराखंड 248001 |
| 211. | केरल के परम बिकुलम बाघ अभ्यारण्य के चारों ओर प्रजातिय समुदायों के लिए सतत् जीविका कार्यक्रम। नदी अनुसंधान केन्द्र, त्रिशूर, केरल-68030 |
| 212. | जनजातिय समुदाय में उपयुक्त प्रौद्योगिकी का प्रसार तथा हल्दी उत्पादन के बाद प्रसंस्करण के लिए अवसंरचना की स्थापना। मान्यसीमा स्वैच्छिक संगठन, रोलूगुंटा (पी.ओ.एवं एम डी),जिला विशाखापट्टनम, ए.पी. |
| 213. | आंध्रप्रदेश के कवल वन्य जीव अभ्यारण्य में जनजातियों के जीविका संवर्द्धन के लिए तकनीकी हस्तक्षेप द्वारा भूमि एवं जल संसाधनों का प्रभावी प्रयोग को प्रोत्साहित करना। लोक वनिकी केन्द्र,12-।3-483/39, स्ट्रीट नं. 14 लेन-6, नागार्जुन नगर कॉलोनी, तारनाका, सिकंदराबाद -500017, तेलगांना। |
| 214. | हिमाचल प्रदेश के जनजातिय क्षेत्रों में जंगली खुबानी (प्रनुस अमेरिकाना) के वृक्षारोपण के लिए श्रेष्ठ क्लोन का चयन हेतु जंगली खुबानी का मूल्यांकन। हिमाचल अनुसंधान समूह, उमेश भवन, छोटा शिमला, 171002, हिमाचल प्रदेश |

| | |
|---|---|
| 215. | वाल्मिकी वन्यजीव अभ्यारण्य ,बिहार के आस पास उचित प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप के माध्यम से कमजोर समुदायों के लिए सतत् जीविका तथा एकीकृत संरक्षण गोरखपूर पर्यावरण क्रियात्मक समूह,224,पूर्दिलपुर, एम.जी कॉलेज रोड, पोस्ट बॉक्स 60, गोरखपूर-273001(यू.पी.) |

**योजना: ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी संवर्द्धन (टी.ए.आर.ए.): दीर्घावधि मूलभूत सहयोग** 2013–14, 2014–15, 2015–16

| | |
|---|---|
| 216. | वैकल्पिक विकास संस्थान, तारा क्रेसेन्ट, कुतुब संस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली |
| 217. | श्री ए एम.एम मुरूगप्पा चेट्टियार अनुसंधान केन्द्र, (एम सी आर सी), तारामनी, चैन्ने, तमिलनाडु-600113 |
| 218. | हिमाचल पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन (हेस्को), जिला-देहरादून, उत्तराखंड-248001 |
| 219. | पीरमेड विकास समिति, जिला, केरल-685531 |
| 220. | आर्थिक एवं सामाजिक अध्ययन समिति, प्रौद्योगिकी एवं विकास केन्द्र, साकेत नई दिल्ली-110017 |
| 221. | विज्ञान आश्रम (भारतीय शिक्षण संस्थान केन्द्र) पुणे-411038 महाराष्ट्र |
| 222. | ग्रामीण औद्योगिकरण संस्थान (एस आर आई) बरियातु,रांची-834009 |
| 223. | उपयुक्त ग्रामीण प्रौद्योगिकी संस्थान (आरती), मानिनि अपार्टमेन्ट, पूणे 411041, महाराष्ट्र |
| 224. | भारतीय ज्ञान प्रणाली केन्द्र (सी आई के एस) चैन्ने-600085, तमिलनाडु |
| 225. | मध्यप्रदेश विज्ञान सभा, ज्ञान-विज्ञान परिसर सागोनीकलान, भोपाल-462021, मध्य प्रदेश |
| 226. | मित्रनिकेतन, वेलानाड, तिरूवनंतपुरम, केरल-695543 |
| 227. | ऊर्जा पर्यावरण एवं विकास संस्थान (सीड), जुबली हिल्स, हैदराबाद |
| 228. | सूचना प्रौद्योगिकी अभिकल्पन उद्योग (टाईड), बैगलोर |
| 229. | हिमाचल अनुसंधान समुह (एचआरजी), उमेश भवन, छोटा शिमला, शिमला |
| 230. | एनएआरडीईपी, विवेकानंद केन्द्र विवेकानंदपुरम कन्याकुमारी-629702 |
| 231. | प्रौद्योगिकी विकास संस्थान,(एसटीडी), ग्राम-मलोरी, हिमाचल प्रदेश |
| 232. | गांधीग्राम न्यास, गांधीग्राम-624302 |
| 233. | सरदार पटेल नवीकरणीय ऊर्जा अनुसंधान संस्थान, गुजरात, भारत-388120 |
| 234. | एमएस स्वामीनाथन अनुसंधान समुदाय, कृषि जैव विविधता संस्थान केन्द्र, पुतुरखायल कलपेट्टा वेनाड-673121 |
| 235. | विवेकानंद जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र (वी आई बी) श्री रामकृष्ण आश्रम, पश्चिम बंगाल। |
| 236. | एकीकृत ग्रामिण प्रौद्योगिकी केन्द्र (आईआरटीसी), मुंडुर, पलक्कड़, केरल-678592 |
| 237. | एन.बी ग्रामिण प्रौद्योगिकी संस्थान, 52, शकुंतला रोड, अगरतला, त्रिपुरा-799001 |
| 238. | बी.ए.आई एफ विकास अनुसंधान संस्थान, पूणे, 411058, महाराष्ट्र |
| 239. | ग्रामीण समुदाय, मुंबई-400002 |

| | |
|---|---|
| 240. | ग्राम विज्ञान केन्द्र, वर्धा-442001 |
| 241. | एम एस स्वामीनाथन अनुसंधान संस्थान चैन्ने-600113 को अनुदान सहायता |

**योजना: महिला प्रौद्योगिकी विकास एवं प्रयोग कार्यक्रम (टीडीयूपीडब्ल्यू) 2013–14, 2014–15, 2015–16**

| | |
|---|---|
| 242. | स्थानीय संसाधनों के प्रयोग के माध्यम से आय सृजन हेतु महिला समुहों का कौशल उन्नयन। ग्रामीण सुधार एवं श्रमिक, रूद्रप्रयाग, उत्तरांचल-246141 |
| 243. | उड़ीसा के जाजपूर जिला के बारी प्रखंड में गरीब महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एकीकृति कुकुरमुत्ता विकास। गंगोत्री सामाजिक संगठन, खोर्दा, उड़ीसा |
| 244. | कन्याकुमारी जिले के विलावानकोड तालुका में उन्नत मृत्तिका प्रौद्योगिकी में महिला उद्यमियों का विकास। सामाजिक विकास केन्द्र, तिरूनयनारकुरिची, कन्याकुमारी जिला, तमिलनाडु |
| 245. | वर्मी कम्पोस्ट प्रौद्योगिकी के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास संघ, मदुरै, तमिलनाडु |
| 246. | उत्तरकाशी जिले के उच्च अंक्षाशों में आय एवं रोजगार विकास के लिए वन संसाधनों के प्रयोग के लिए प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप। पर्यावरण एवं रोजगार तथा विकास संस्थान (सीड), उत्तरकाशी, उत्तराखंड |
| 247. | उड़ीसा के समुद्रतटीय जिला पूरी के सयबादी प्रखंड में स्थायी जीविका एवं पर्यावरण पुनरूद्धार के लिए मिश्रित नारियल जटा। अनुपमा, जिला पूरी, उड़ीसा |
| 248. | उड़ीसा के पुरी जिला के गोप प्रखंड में मिश्रित स्वच्छ जल मत्सय पालन को प्रोत्साहन - जीविका सुरक्षा की ओर एक कदम –वेलकम, जिला पूरी, उड़ीसा |
| 249. | नारियल रेशा सेक्टर में महिलाओं के लिए प्रौद्योगिकी अभिग्रहण एवं प्रयोग कार्यक्रम प्रारंभ करने का प्रस्ताव। केरल ग्रामीण विकास एजेंसी (के आर डी ए) कोलम जिला, केरल |

भारत सरकार
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या** 3131
बुधवार, 16 मार्च, 2016 को उत्तर देने के लिए

**विज्ञान केन्द्र**

**3131. श्री भरत सिंह:**
**श्री विजय कुमार हांसदाक:**

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देशभर में अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान केन्द्रों और क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना करने का निर्णय लिया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या अनुसंधान और विकास कार्यों को बढ़ावा देने के लिए कई राज्यों ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है; और
(घ) यदि हां, तो आज तक की तिथि के अनुसार इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

**उत्तर**
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री वाई. एस. चौधरी)

(क) से (घ): जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

********

भारत सरकार
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या** 3136
बुधवार, 16 मार्च, 2016 को उत्तर देने के लिए

**सरल विज्ञान**

**3136. डॉ. पी. वेणुगोपालः**

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विज्ञान संबंधी कार्य को सरल बनाने तथा अनुसंधान हेतु संसाधनों में वृद्धि करने पर विचार कर रही है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार विज्ञान में प्राचीन भारत के योगदान का कोई संदर्भ देने से परहेज करेगी; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**उत्तर**
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री वाई. एस. चौधरी)

(क) और (ख ) : सरकार ने विज्ञान की खोज को आसान बनाने के लिए अनेक उपाय किए हैं। विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालय की अनुसंधान अवसंरचना को विश्वविद्यालयों और उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं में एस एंड टी अवसंरचना सुधार निधि (फिस्ट ) और विश्वविद्यालय अनुसंधान एवं वैज्ञानिक उत्कृष्टता संवर्द्धन (पर्स ) जैसी योजनाओं के माध्यम से उल्लेखनीय रूप से सुदृढ़ किया गया है । इन योजनाओं के माध्यम से सृजित आंतरिक अत्याधुनिक विश्लेषणात्मक उपकरणों से अनुसंधान कार्य आसान और कुशल हो गया है। विज्ञान और इजीनियरी अनुसंधान बोर्ड जो विज्ञान क्षेत्र को नौकरशाही से मुक्त करने के प्रयोजनार्थ स्थापित एक सांविधिक निकाय है, को नवोन्मेषी वित्तपोषण योजना बनाने और जरूरतमंद वैज्ञानिकों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के लिए सुदृढ़ किया गया है। मापन के ज्ञात मानदंडों के जरिए वित्त पोषण प्रक्रिया को तेज करने के लिए समकक्ष समीक्षा स्तर एवं अनुमोदन तंत्रों को पुनगर्ठित किया गया है। परियोजना अन्वेषकों को बजट शीर्ष को युक्तिसंगत बनाकर प्रचालनात्मक लोचनीयता प्रदान की गई। सेवा सुपुर्दगी की प्रक्रियाओं, क्षमता एवं गति में और अधिक पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से ई-आधारित प्रबंधन तंत्र बनाने के लिए उपाय किए गए। आर एंड डी के लिए वित्तपोषण में धीरे-धीरे वृद्धि की गई है जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि चालू वर्ष सहित विगत तीन वर्षों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का योजनागत आबंटन (संशोधित अनुमान ) क्रमशः 5145 करोड़ रू., 5495 करोड़ रू. और 7200.8 करोड़ रू. है।

(ग) और (घ ): सरकार विज्ञान के प्रति प्राचीन भारत के योगदानों का संदर्भ दे रही है और प्राचीन भारत द्वारा वैज्ञानिक अग्रता में हासिल बेहतर स्थिति के बारे में मौजूदा पीढ़ी को अवगत कराने का प्रयास कर रही है। प्राचीन भारतीय व्यक्ति गणित, खगोल विज्ञान, धात्विकी, शहर आयोजना और वास्तुकला के क्षेत्रों में सबसे आगे थे। अनुभव के आधार पर औषधि के रूप में जड़ी-बूटी का उपयोग किया जाता था । विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड आयुर्वेदिक जीव विज्ञान संबंधी कार्यक्रम की सहायता कर रहा है जिसका उद्देश्य आयुर्वेदिक औषधियों के जीव वैज्ञानिक कार्य को समझना है।

*****

भारत सरकार
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या** 3143
बुधवार, 16 मार्च, 2016 को उत्तर देने के लिए

**औषध और भेषज क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास**

**3143. श्री दुष्यंत सिंह:**

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में औषध और भेषज क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास (आरएण्डडी) हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) द्वारा औद्योगिक और अकादमिक संस्थाओं के बीच स्वीकृत की गई सहयोगी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ऐसी अनेक स्वीकृत परियोजनाओं को पूरा करने में विलंब हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनको समय पर पूरा करने की सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) सरकार द्वारा आंशिक और पूर्ण रूप से वित्त पोषित की गई इन परियोजनाओं के परिणामों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या डीएसटी द्वारा परियोजना की पर्याप्त निगरानी नहीं की गई है जिससे सरकारी धनराशि का खराब वित्तीय प्रबंधन और अकुशल अनुसंधान हुआ है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

**उत्तर**

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री वाई. एस. चौधरी)

(क) गत तीन वर्षों में औषध और भेषज क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) द्वारा, औद्योगिक और अकादमिक संस्थाओं के बीच, स्वीकृत की गई सहयोगात्मक परियोजनाओं का ब्यौरा अनुलग्नक 1 के रूप में संलग्न है ।

(ख) और (ग) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्तपोषित सहयोगात्मक परियोजनाओं की अधिकतम अवधि 3 वर्ष है । औषध और भेषज क्षेत्र में अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को विभिन्न चरणों जैसे औषध आपूर्ति, पूर्व-नैदानिक और नैदानिक परीक्षण, जोकि संसाधन बहुल और दीर्घकालिक हैं, से गुजरना पड़ता है । प्रत्येक अध्ययन, जरूरी स्वीकृतियाँ यथा नीतिगत मंजूरी, आईसीएमआर दिशानिर्देशों का अनुपालन, नैदानिक परीक्षणों के लिए डीसीजीआई अनुमोदन आदि, प्राप्त करने के उपरांत ही शुरू किया जाता है । सरकार, समय पर प्रगति रिपोर्ट को प्राप्त करके, प्रगति की जांच के लिए विशेषज्ञों की निरीक्षण

समिति के गठन द्वारा, समय पर निपटान को सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न कदम उठाती है। समिति की सिफारिशों के आधार पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और उद्यम, अकादमिक संस्थानों हेतु प्रतिबद्ध निधियों को जारी करते हैं ।

(घ) इन परियोजनाओं का परिणाम मुख्यत: नियामक आवश्यकताओं जैसे सुरक्षा, क्षमता, स्थायित्व आदि के लिए आँकड़ों का सृजन करना है । तथापि परियोजनाओं के परिणामों में से कुछ, जिनका औषध और भेषज क्षेत्र में डीएसटी द्वारा आंशिकत: या पूर्णत: वित्तपोषण किया गया, को अनुलग्नक 2 के रूप में संलग्न किया गया है ।

(ड.) और (च) सहयोगी भागीदारों से तकनीकी और वित्तीय प्रगति प्राप्त करने के उपरांत इस क्षेत्र में विशेषज्ञों द्वारा परियोजनाओं की पर्याप्त निगरानी की जा रही है । निगरानी समिति के सुझावों को परियोजना प्रबंधकों को अनुपालन और कार्यान्वयन हेतु संप्रेषित किया जाता है ।

*****

**गत तीन वर्षों में औषध और भेषज क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्तपोषित सहयोगी परियोजनाएं**

| क्र.स. | परियोजना का शीर्षक | अवधि | सहयोगी संस्थान/उद्यम का नाम | कुल अनुमोदित लागत | डीएसटी का अंश | निर्मुक्त राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13<br>1. | डायबटीज़ और इससे संबंधित जटिलताओं के प्रबंधन के लिए संरूपण, फाइलेंनथस निरूरी और ग्लाइसाईन मैक्स (एल) मेर. का उत्पाद विकास, इसका अधिमान्यकरण, मानकीकरण, पूर्वनैदानिक विषविज्ञान और औषधीय मूल्यांकन | 3 वर्ष | श्री रामचंद्र विश्वविद्यालय, चेन्नै<br>विश्व भारती विश्वविद्यालय, जीवन विज्ञान स्कूल, शांतिनिकेतन<br>ईस्ट इंडिया फार्मास्यूटिकल्स वर्क्स लिमि., कोलकाता | 251.91 | 158.052 | 146.718 |
| 2. | यकृत संबंधी विकारों की व्यवस्था के लिए विकसित पेटेंट धारक फॉल्क्लोर दवाई 'सेवलिक' की सुरक्षा, संरक्षण और निवारात्मक क्षमता का वैज्ञानिक अधिमान्यकरण -एक पूर्वनैदानिक अध्ययन। | 2 वर्ष | श्री रामचंद्र विश्वविद्यालय, चेन्नै<br>मैसर्स हर्षुल अयूर फार्मा, रामनगर | 33.654 | 21.246 | 20.308 |
| 3. | भारतीय जनसंख्या में कार्डियोवास्कुलर बीमारी का जोखिम प्रदान करने वाले आनुवांशिक प्रकार की पहचान के लिए जीनोम से संबंधित अध्ययन | 3 वर्ष | अलूरी सीतारामराजू चिकित्सा विज्ञान अकादमी, इलूरू<br>एम.एस. विश्वविद्यालय, वड़ोदरा<br>श्री रामचंद्र विश्वविद्यालय, चेन्नै<br>लैला फार्मास्यूटिकल्स प्रा.लि., विजयवाड़ा | 214.852 | 179.3744 | 156.3276 |
| 2013-14<br>1. | पशु और मानवों में माइकोटॉक्सिकॉसिस हेतु प्रबंधन के लिए नवीन माइकोटॉक्सिन बंधकों का विकास | 1 वर्ष | तमिलनाडू पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, चेन्नै<br>मैसर्स न्योस्पार्क ड्रग्स एंड कैमिलक्स प्रा.लि.,हैदराबाद | 65.00 | 42.60 | 42.60 |
| 2. | मुख संबंधी कैंसर के उपचार में दोहरी आपूर्ति के लिए लक्षित गोपनीय नैनोवाहक का विकास | 3 वर्ष | सस्त्र विश्वविद्यालय, तंजावुर<br>ऑर्चिड रिसर्च लैबोरेट्री लि.,चेन्नै | 58.73 | 20.265 | 6.104 |

## औषध और विकास क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के तहत विकसित कुछ उत्पाद

बोनिस्टा- ऑस्टियोपोरोसिस के उपचार के लिए टेरिपेराटाईड इंजैक्शन (रिकॉम्बीनैंट ह्यूमन पेराथायरॉयड हार्मोन) का विकास विरकॉव बायोटैक प्रा.लिमि., हैदराबाद द्वारा किया गया ।

एलक्विट- केन्द्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान,मथुरा और मैसर्स नैचुरल रेमेडीज़ प्रा.लिमि. बंगलौर द्वारा पालतू पशुओं के लिए विकसित एक्टोपेरासाईटीसिडाल प्राकृतिक उत्पाद ।

रॉहक्लोन- मैसर्स भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड, मुंबई द्वारा नवजातों की हेमोलाईटिक बीमारी के लिए विकसित एंटी-रॉह-डी इम्यूनोग्लोब्यूलिन इंजैक्शन (मोनोक्लोनल) 300एमसीजी ।

अर्थान-केएमसीएच भेषज कॉलेज, कोयंबटूर और मैसर्स डॉक्टर थैंग्स प्रडक्ट्स, कोयंबटूर द्वारा जड़ी-बूटियों का प्रयोग करके आर्थरिटिक रोधी के लिए विकसित एक नवीन टॉपिकल एयरोसोल स्प्रे ।

सिनरियम-मैसर्स रैनबैक्सी लैबोरेट्रीज़ लिमि. द्वारा एक नवीन मलेरिया रोधी औषध का विकास किया गया ।

एंफोमल- मैसर्स भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमि., मुंबई द्वारा विस्सेरल लैशमानियासिस (काला आज़ार) के लिए एक औषधि का विकास किया गया ।

माईसिडाक-मैसर्स कैडिला फार्मास्यूटिकल्स लिमि., अहमदाबाद ने पैक्लेटैक्सल सिस्प्लाटिन के साथ अग्रणी नॉन स्माल सैल लंग कैंसर (एनएससीएलसी) का विकास किया।

*****

भारत सरकार
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या** 3162
बुधवार, 16 मार्च, 2016 को उत्तर देने के लिए

**वैज्ञानिक संस्थाएं**

**3162. श्री विष्णु दयाल राम:**

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में देश में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने वैज्ञानिक संस्थान संचालित हैं;
(ख) क्या सरकार उक्त संस्थाओं की संख्या में वृद्धि करने पर विचार कर रही है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/शहर-वार ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन हेतु कितनी निधि आबंटित की गई है;
(घ) क्या मंत्रालय के पास इन संस्थाओं के आंकड़ों और सूचनाओं को एक स्थान पर संग्रहीत करने हेतु इनके बीच अन्तर-संपर्क स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव लंबित है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**उत्तर**

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री वाई. एस. चौधरी)

(क) वर्तमान में देश में क्रियाशील वैज्ञानिक संस्थानों की संख्या, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र वार अनुलग्नक पर दी गई है ।
(ख) जी, नहीं ।
(ग) प्रश्न नहीं उठता ।
(घ) जी, नहीं ।
(ङ.) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत सरकार
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या** 3163
बुधवार, 16 मार्च, 2016 को उत्तर देने के लिए

**विज्ञान उत्सव**

**3163. श्रीमती कोथापल्ली गीता:**

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), दिल्ली में एक पांच दिवसीय विज्ञान उत्सव आयोजित किया गया था और इसमें 240 परियोजनाओं का प्रर्दशन किया गया; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है और कुछ अन्य शहरों में भी ऐसी प्रदर्शनियां आयोजित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

**उत्तर**

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री वाई. एस. चौधरी)

(क) जी, हाँ। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), दिल्ली में 04-08 दिसम्बर, 2015 के दौरान भारत अंतर्रा-ट्रीय विज्ञान समारोह (आईआईएसएफ 2015) का आयोजन किया गया। आईआईएसएफ 2015 के दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए:

(i) युवा वैज्ञानिक सम्मेलन
(ii) उद्योग शैक्षणिक सम्मेलन
(iii) डीएसटी के 'इंस्पायर' कार्यक्रम के अंतर्गत रा-ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी और परियोजना प्रतियोगिता (एनएलईपीसी)
(iv) विज्ञान फिल्म समारोह
(v) बृहद प्रायोगिक विज्ञान प्रयोगशाला प्रदर्शन
(vi) प्रौद्योगिकी-उद्योग एक्सपो

(ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भारत अंतरा-ट्रीय विज्ञान समारोह के साथ 6-7 दिसम्बर, 2015 के दौरान आईआईटी दिल्ली में इंस्पायर पुरस्कार योजना के अंतर्गत पांचवा एनएलईपीसी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान पूरे देश से चयनित 699 इंस्पायर पुरस्कार विजेताओं ने इसमें भाग लिया और अपने प्रोजेक्ट/मॉडल का प्रदर्शन किया। ये इंस्पायर पुरस्कार विजेता उन 15000 पुरस्कार विजेताओं में से थे जिन्होंने जिला-स्तरीय प्रतियोगिताओं, जिनमें लगभग 2 लाख पुरस्कार विजेताओं ने भाग लिया में भाग लेने के पश्चात विभिन्न राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों द्वारा आयोजित की गई राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लिया था। उच्च स्तरीय निर्णय मण्डल द्वारा 699 प्रोजेक्ट का मूल्यांकन किया गया और 60 सर्वश्रे-ठ प्रोजेक्ट का चयन किया गया। शीर्-ा के 3 प्रोजेक्ट को रा-ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए और शे-ा 57 को प्रशंसा पुरस्कार प्रदान किए गए।

आईआईएसएफ -2015 की समग्र प्रतिक्रिया सकारात्मक और उत्साहवर्धक थी।

विज्ञान भारती, एक गैर-सरकारी संकाय, जो विज्ञान अभिगम्यता संबंधी कार्यकलापों में संलग्न है के द्वारा स्व-वित्तपोनित रीति में प्रौद्योगिकी-उद्योग एक्सपो का आयोजन किया गया। यह उनके द्वारा एक संकल्पित विचार था। अन्य शहरों में ऐसा ऐक्सपो आयोजित करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

***